'सभहक लेल घर घरमे मानव अधिकार
शान्ति आ विकासक आधार'

मानव अधिकारसँ सम्बन्धित बुझऽबला बातसभ

(मानव अधिकार सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुराहरु)

मैथली संस्करण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल

संयोजन : मा. श्री गोविन्द शर्मा पौड्याल
सूर्य बहादुर देउजा
सहयोग : **SCNHRC/UNDP**
प्रकाशक : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
हरिहरभवन, ललितपुर, नेपाल
प्रकाशन तिथि : असार २०७२
संस्करण : प्रथम
प्रति : ५०० पाः
प्रतिवेदन नं. : रा.मा.अ.आ. १९५
मुद्रण : कालिञ्चोक प्रिटिङ्ग प्रेस, बबरमहल, काठमाडौं
सर्वाधिकार : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल

आयोगक वर्तमान पदाधिकारीसभः

अध्यक्ष	: माननीय श्री अनूपराज शर्मा
सदस्य	: माननीय श्री प्रकाश शर्मा वस्ती
सदस्य	: माननीय श्री सुदीप पाठक
सदस्य	: माननीय श्री मोहना अन्सारी
सदस्य	: माननीय श्री गोविन्द शर्मा पौड्याल

मन्तव्य

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार स्थापित स्वतन्त्र आ स्वायत्त राष्ट्रिय संस्था अछि। नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ एहिकेँ संवैधानिक अंगकेँ हैसियत सेहो देने अछि। मानव अधिकारक प्रभावकारी संरक्षण आ सम्वर्द्धन करब आयोगक प्रमुख कर्तव्य अछि तेँ स्थापनाकालहिसँ आयोग मानवअधिकारक संरक्षण आ प्रवर्द्धनक काजमे क्रियाशील रहैत आएल अछि। नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी चौबीसटा अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखके पक्षदेश भऽ मानवअधिकारक सम्मान आ संरक्षणक लेल प्रतिवद्धता व्यक्त कऽ चुकल अछि। संगहि, नटा बडका महासन्धिमेसँ सातटा महासन्धिक पक्षदेश रहल नेपालक संविधान आ कानुनसभमे सेहो ताहि अनुरुप नागरिक तथा मानव अधिकार सुनिश्चित करबाक दायित्व रहल अछि।

मानव अधिकार संरक्षण आ सम्वर्द्धन करब प्रमुख कर्तव्य रहल ई आयोग "सभहक घरमे मानव अधिकार शान्ति आ विकासक आधार" नारासहित मानवअधिकारक अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय अभिलेखसभमे रहल अधिकारक विषयमे चेतना, शिक्षा आ सूचनामे पहुच अभिवृद्धि करएबाक उद्देश्यक संग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालक संविधान, मानवअधिकार आयोग ऐन तथा मानवअधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौतामे आधारित भऽ "मानव अधिकार सम्बन्धी बुझऽबला बातसभ" विषयक ई पुस्तिका प्रकाशन करबाक नियार कएलक।

आयोगद्वारा प्रकाशित मानवअधिकार प्रश्नोत्तर संकलनकेँ सरलीकृत आ परिर्माजन कएलगेल एहि पुस्तिकामे मानवअधिकारक समग्र विषयवस्तु आ अभिलेखकेँ नई समेटल गेलाक बादो मानवअधिकारक आधारभूत अवधारणासभकेँ प्रश्नोत्तरक रूपमे प्रस्तुत कएलगेल अछि। एहिसँ सर्वसाधारणकेँ बुझबामे सहज हेतनि से अपेक्षा अछि। संगहि सभहक घर घरमे मानवअधिकार अभियानकेँ सार्थकता प्रदान करबामे ई पुस्तिका सहयोग करत से आशा अछि।

एहि पुस्तिकाके तयारी, सम्पादन आ प्रकाशनकलेल योगदान कएनिहार आयोगमे कायर्रत सूर्यबहादरु देउजा, खिमानन्द बस्यालसहित सभ कर्मचारीकेँ धन्यवाद व्यक्त करैत छी।

अनुपराज शर्मा
अध्यक्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
माघ २०७१

विषयसूची

		पेज
१.	मानव अधिकार	१
२.	राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग	६
३.	नागरिक आ राजनैतिक अधिकार	१३
४.	आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार	१६
५.	जातीय भेदभाव विरुद्धक अधिकार	१९
६.	महिला अधिकार	२२
७.	प्रताडना विरुद्धक अधिकार	२६
८.	बालअधिकार	२८
९.	आप्रवासी श्रमिकक अधिकार	३१
१०.	अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकार	३५
११.	बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धक अधिकार	३७
१२.	अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन	३९
१३.	आदिवासी जनताक अधिकार	४२

मानव अधिकार

१. मानव अधिकार की अछि ?

उत्तरः मानवकेँ आत्मसम्मानपूर्वक जीबऽलेल अति आवश्यक तत्व अछि मानव अधिकार । ई तत्व पाएब मानवकेँ नैसर्गिक हक अछि, जे परिपूर्ति नईं भेल अवस्थामे वा हनन् भेलामे दाबी कऽ कऽ प्राप्त कएल जा सकैत छै । मानव अधिकार मानवकेँ प्राकृतिकरूपमे प्राप्त होइत अछि । तेँ मानव अधिकारकेँ जन्मसिद्ध अधिकार आ नैसर्गिक अधिकार सेहो कहल जाइत अछि । पौष्टिक खेनाइ भरिपेट खाय लेल भेटब, कम्तीमे आधारभूत शिक्षा अनिवार्य आ निःशुल्क भेटब, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सभहक जकाँ समान व्यवहार पायब, विचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाएब, अपनापर असर होबऽबला विषयक निर्णय प्रक्रियामे सहभागी होबऽ सकब, जीविका आ रोजगारी चुनऽके स्वतन्त्रता आदि मानवकेँ आधारभूत अधिकार अछि ।

२. मानव अधिकारकेँ ऐन कोनाकऽ परिभाषित कएने अछि ?

उत्तर : मानवकेँ मानवकेँ हैसियतमे मर्यादित भऽ जीबालेल आवश्यक सभ अधिकारसभकेँ मानव अधिकार कहल जाइत छै । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार "मानव अधिकार" कहलासँ व्यक्तिक जीवन, स्वतन्त्रता, समानता आ मर्यादासँ सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान कएल गेल अधिकार बुझबाक चाही आ ई शब्द नेपाल पक्ष रहल मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमे निहित अधिकारकेँ सेहो बुझबैत अछि ।

३. मानव अधिकारक मूलभूत सिद्धान्त की अछि ?

उत्तर : मानव अधिकारक सिद्धान्त कहलासँ मानव अधिकार दस्तावेजक सार बुझबाक चाही । इएह सिद्धान्तसभक मनन आ अभ्यासक आधारमे मात्र मानव अधिकारक प्रचलन सम्भव अछि । निम्नलिखित बातसभकेँ मानव अधिकारक मुलभूत सिद्धान्तक रूपमे वर्णन कएल जाइत अछि :

विश्वव्यापकता : मानव अधिकारक निर्माण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँ होइत अछि तेँ ई विश्वव्यापी होइत अछि । मानव भेलाक कारणेँ प्राप्त कएल जायबला अधिकार भेलाक कारणेँ मानव अधिकारक प्रावधान विश्वभरिके लोकके लेल समानरूपसँ लागू होइत अछि । समानता तथा अभेदभाव : मानव अधिकारक मूल मर्म मानवीय आत्मसम्मान रहल आ विभेद आत्मसम्मानकेँ निषेध करैत अछि तेँ समानता तथा भेदभावरहित मानव अधिकारकेँ कार्यान्वयन अति आवश्यक अछि । सभ मानव अधिकार सभलोकके समानरूपसँ उपभोग करबाजोगर हेबाक चाही । कानुन प्रयोग करैत काल कोनो मानवबीच जाति, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, वर्ग, जन्म, शारीरिक अवस्था (जेना (अपाङ्गता, एचआइभी सङ्क्रमण) सहित कोनो आधारमे भेदभाव नहि करबाक चाही । कानुनके आगू सभगोटे समान होइत अछि । सभगोटेकेँ समानरूपसँ अप्पन अधिकार भेटए ताहिलेल राज्यकेँ अपन अधिकारक दाबी तथा संरक्षण नहि केनिहार कमजोरवर्गक अधिकार सुरक्षित करबालेल प्राथमिकता देबक चाही । अहस्तान्तरणीयता : मानव अधिकारक मूल तत्व मानवीय आत्मसम्मानक रक्षा अछि । जीवनक अधिकार कहलासँ आत्मसम्मानपूर्वक जीबाक अधिकार अछि । मानवीय आत्मसम्मान विना मानव जीवन पशुतुल्य होइत अछि तेँ कोनो मानवकेँ ओकर कोनो अधिकारसँ वञ्चित नहि करबाक चाही । मानव अधिकार दोसराकेँ हस्तान्तरण सेहो नहि कऽ सकैत छी । अन्तरनिर्भरता : मानव अधिकार अविभाज्य होइत अछि तहिना ओसभ एक-दोसरासँ अन्तरनिर्भर आ अन्तरसम्बन्धित सेहो अछि । जेना: स्वास्थ्यक अधिकार पूरा होबऽलेल खाद्य, पानि, स्वच्छ वातावरण, यातनाविरुद्ध, समानतासहित विभिन्न अधिकार पूरा हएब जरुरी अछि । तहिना खाद्य अधिकार पूरा होबऽलेल रोजगारी, पेसा व्यवसाय आ रोजगारीसम्बन्धी अधिकार पुरा होयबाक चाही ।

अविभाज्यता : मानव अधिकारकेँ ओकर कार्यान्वयनके सन्दर्भमे ई अधिकार देबाक/नई देबाक कहिकऽ विभाजन नईं कऽ सकैत छी । मानव अधिकार अविभाज्य होइत अछि से मान्यता अछि ।

४. की मानव अधिकारके अलग अलग कऽ कऽ प्रदान कऽ सकैत छी ?

उत्तर : सभ तरहक अधिकार अन्तरनिर्भर आ अविभाज्य होइत अछि तेँ मानवकेँ ओ अधिकार अलग अलग कऽ कऽ नहि देल जा सकैत अछि । एकगोटेके तागत देबऽबला आ पर्याप्त खेनाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यक अधिकार नईं देल गेल अछि त बाजऽके अधिकारके कोनो अर्थे नहि रहत । तहिना खेनाइ, लत्ता कपडा आ घरक अधिकार देल जाय मुदा स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर करऽ, बाजऽ, सङ्गठित होबऽ नईं देल जाय त ओ जीवन मर्यादित नईं रहत ।

५. नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार केहन अधिकार अछि ?

उत्तर : मानव अधिकारक विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध एहि तरहेँ प्रमुख अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

जीवनक अधिकार : सभ व्यक्तिकेँ जीबाक अधिकार अछि, एहिके कानुनद्वारा संरक्षण कएल जायत आ मनमानी (स्वेच्छाचारी) ढङ्गसँ ककरो जीवनहरण नहि कएल जायत से लिखल अछि । सूगहि १८ वर्षसँ कम उमेरकेँ आ गर्भवतीकेँ मृत्युदण्ड नईं देल जासकैत अछि, सकभरि मृत्युदण्ड निर्मूल (उन्मूलन) कएल जयबाक चाही, मृत्युदण्डक सजाय भेल मानवकेँ माफी वा दण्ड कटौतीक मांग करबाक अधिकार जेहन बातसभ एहि अन्तर्गत अबैत अछि ई अधिकार सङ्कटकालमे सेहो हरण नहि कऽ सकैत छी से लिखल अछि । (अनुवन्धक धारा ६)

यातनाविरुद्धक हक : एहि हक अन्तर्गत ककरो यातना नईं देल जयबाक तथा क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार नईं कएल जायत आ ककरोपर ओ व्यक्तिके मन्जुरीविना शरीरक अनुसन्धान वा वैज्ञानिक परीक्षण नईं कएल जायत से बातसभ अबैत अछि । ई अधिकार सेहो सङ्कटकालमे हरण नईं कएल जासकैत अछि (धारा ७) । यातना तथा क्रूर, अमानवीय व्यवहारविरुद्ध अलगसँ महासन्धि सेहो अछि, जकर नेपाल पक्ष भऽ चुकल अछि ।

दासताविरुद्धक हक : एहि अन्तर्गत ककरो दासत्वमे नईं राइख सकबाक, दासत्व आ दास व्यापार निषेध कएल जयबाक, ककरो बधुवा श्रमिकके रूपमे नईं राइख सकबाक बात सङ्कटकालमे सेहो हरण नईं होबऽबला अधिकारक रूपमे मानल अछि । एहिकेँ अतिरिक्त ई अधिकारअन्तर्गत ककरो इच्छाविरुद्ध काज करबालेल वा अनिवार्य श्रममे नईं लगाओल जायत । (धारा ८)

स्वतन्त्रता आ सुरक्षाक अधिकार : ककरो स्वेच्छाचारी ढङ्गसँ पकडबाक वा कैदमे नईं राखल जायत, व्यक्तिके पकडैत काल पकडबाक कारण आ आरोपक जानकारी देल जायत, पक्राउ कएल गेल व्यक्तिके जतेक जल्दी हुअए मुद्दाक सुनुवाइ केनिहार अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत कएल जायत, गैरकानुनी कैदमे पडल व्यक्तिके क्षतिपूर्ति मांग करबाक अधिकार एहि अन्तर्गत अबैत अछि । (धारा ९)

मानवोचित व्यवहारक अधिकार : एहि अन्तर्गत कैदमे राखल गेल व्यक्ति तथा कैदीकेँ मानवीय तथा सम्मानजनक व्यवहार करबाक, अभियुक्त (अपराधक अभियोग लागल व्यक्ति) आ अपराधीक रूपमे सजाय भोगिरहल व्यक्तिकेँ तथा बालअभियुक्तकेँ वयस्कसँ अलग राखल जायत आ कैदमे रखैतकाल कैदीक सुधार तथा पुनर्स्थापना करबाक हिसाबसँ व्यवहार कएल जयबाक अधिकारसभ अछि ।

६. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार केहन अधिकार अछि ?

उत्तर : आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अनुबन्ध एहितरहेँ प्रमुख अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

- समानता आ भेदभाव विरुद्धक अधिकार
- रोजगारीक अधिकार
- संगठन तथा ट्रेड युनियन सम्बन्धी अधिकार
- सामाजिक सुरक्षाक अधिकार
- परिवार संरक्षणक अधिकार
- आर्थिक सामाजिक शोषणबाट सुरक्षा पएबाक अधिकार
- भोजन, कपडा तथा आवासक अधिकार
- स्थास्थ्य सम्बन्धी अधिकार
- शिक्षाक अधिकार
- सांस्कृतिक जीवनमे सहभागी होबाक अधिकार

७. मानव अधिकारको संरक्षण कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तर : मानव अधिकारक संरक्षण कहलासँ ककरो अधिकार उल्लङ्घन होब॰ लागल अवस्थामे उल्लङ्घन होब॰सँ रोकबाक आ जू भ॰ गेल अछि त ओ अधिकार बहाली करबाक काजके बुझबाक चाही । मानव अधिकार संरक्षणक मतलब नागरिककेँ कोनो तरहक समस्या होब॰सँ बचाएब तथा अधिकार उल्लङ्घन केनिहार अधिकारीकेँ जिम्मेवार बनाक॰ कानुनअनुसार कारबाई करब तथा पीडित पक्षकेँ क्षतिपूर्तिसहित उपयुक्त कानुनी इलाज प्रदान करब अछि । मानव अधिकार संरक्षण करबालेल व्यक्तिक निवेदनके आधारमे मात्र नई राज्यकेँ स्वयं अधिकार परिपूर्तिक अनुगमन करब जरुरी अछि । एहि तरहेँ मानव अधिकार संरक्षणक लेल सरकारी संस्था, अदालत, मानव अधिकार आयोगसहितक प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना करबाक सूगहि अधिकारवाला, कर्तव्यवाला तथा आम नागरिकमे अधिकारप्रतिक सतर्कता महत्वपूर्ण होइत अछि ।

८. नटा बडका महासन्धि की अछि ?

उत्तर : मानव अधिकारक संरक्षण तथा सम्बर्द्धनक लेल बनल महासन्धिमेसँ न (९) टा महासन्धिमे हस्ताक्षर केनिहार पक्ष देशसभ ओइमे व्यवस्था कएल अधिकारसभ प्रचलन कत्तेक पालना कएलक वा नई कएलक तकर अनुगमन करबाक व्यवस्था न बडका महासन्धिमे कएल गेल अछि ।

- जातीय विभेद सम्बन्धी महासन्धि
- नागरिक आ राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- महिला अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

- प्रताडना विरुद्धक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- आप्रवासी श्रमिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि
- बलपूर्वक कएलगेल बेपत्ता सम्बन्धी महासन्धि
- अपाङ्ग व्यक्तिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

प्रमुख ९ महासन्धिमेसँ जबर्दस्ती बेपत्ता करबाकसम्बन्धी महासन्धि लागु नईं भेल अछि। तहिना नेपाल आप्रवासी कामदारक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिक पक्ष देश नईं भेल अछि ।

९. मानव अधिकार संरक्षणक संयुक्त देश सङ्घीय संयन्त्र केहन अछि ?

उत्तर : सन् १९४५ मे स्थापित संयुक्त देश सङ्घभितर मानव अधिकारक संरक्षणक लेल मूलतः दू तरहक संयन्त्र अछि। पहिल (सन्धिमे आधारित संयन्त्र (Treaty Based Bodies) जे बडका ९ महासन्धिक व्यवस्था अनुगमन करैत अछि। दोसर(बडापत्रमे आधारित संयन्त्र (Charter Based Bodies) अछि। ई बडका ९ महासन्धिक पक्ष रहल तथा नईं रहल संयुक्त देश सङ्घक सभ सदस्य देशमे मानव अधिकारक अनुगमन करैत अछि।

१०. मावनीय कानुन की अछि ?

उत्तर : मानवीय कानुन कहलासँ सशस्त्र द्वन्द्वक समयमे मानव जीवनक रक्षा करबालेल प्रयोग कएल जायबला सर्वमान्य विधि आ प्रक्रियाक संग्रह अछि। ई द्वन्द्वमे कहियो सामेल नईं भेल व्यक्ति वा वर्तमानमे द्वन्द्वमे संलग्न नईं रहल व्यक्तिक संरक्षण करैत अछि। द्वन्द्वक समयमे द्वन्द्वक पक्षसभ, जनसमुदाय आ द्वन्द्वमे संलग्न लडाकुके पृथक करबाक चाही। कोनो हालतमे जनसमुदायपर आक्रमण नईं हेबाक चाही । ओहन आक्रमण लडाकुबीच सैन्य प्रयोजनक लेल मात्र भऽ सकैत अछि। मानव अधिकार आ मानवीय कानुन दुनूके उद्देश्य मानवकेँ अनावश्यक दुःखसँ बचाएब अछि।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

११. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग की अछि ?

उत्तर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण आ सम्वर्द्धनक लेल स्थापित संवैधानिक संस्था (निकाय) अछि । मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ अनुसार २०५७ जेठ १३ गते स्थापित एहि आयोगकेँ नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ क भाग १५ अन्तर्गत संविधानक धारा १३१ सं १३३ मे संवैधानिक संस्थाक रूपमे स्थापित कएने अछि । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ जारी भेलाक बाद आयोगक काज इएह ऐन अन्तर्गत होइत आएल अछि । मानव अधिकारक प्रभावकारी संरक्षण आ प्रवर्द्धन करब आयोगक प्रमुख कर्तव्य अछि तेँ स्थापनाकालहिँसँ आयोग मानव अधिकारक संरक्षण आ प्रवर्द्धनमे क्रियाशील अछि ।

१२. पेरिस सिद्धान्त की अछि ?

उत्तर : राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासभक स्वतन्त्रता आ स्वायत्तता आ एहि संस्थासभक काज, कर्तव्य आ अधिकारसभक विषयमे निर्देशित करबालेल सन् १९९१ मे पेरिसमे सम्पन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासभक सम्मेलनसँ पारित भऽ सन् १९९३ मे संयुक्त देशसङ्घद्वारा पेरिस सिद्धान्त जारी कएल गेल (जकरा संक्षिप्तमे पेरिस सिद्धान्त कहल जाइत अछि) । पेरिस सिद्धान्त आयोगक स्वतन्त्रता आ स्वायत्तता, गठन प्रक्रिया, पर्याप्त आर्थिक स्रोतसहितक आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार संरक्षण आ सम्बर्द्धनक लेल पर्याप्त कार्याधिकारसहितक विषयकेँ समेटने अछि । वएह सिद्धान्तमे आधारित भऽ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालक स्थापना भेल अछि । वएह सिद्धान्तक आधारमे मानव अधिकार संस्थासभक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासभके वर्गीकरण करैत अछि, जाहि अन्तर्गत ई आयोग स्थापनाकालहिसँ 'ए' हैसियतमे रहल अछि ।

१३. नेपालक अन्तरिम संविधान, २०६३ मे आयोगक गठन सन्बन्धी की व्यवस्था कएल गेल

अछि ?

उत्तर : आयोगक पदाधिकारीक नियुक्ति बहुलवादक सिद्धान्तमे आधारित भऽ संवैधानिक परिषदक सिफारिसमे संसदीय सुनुवाइपश्चात् देशपतिसँ होयबाक आ आयोगक पदाधिकारीक कार्यकाल ६ वर्ष रहबाक व्यवस्था कएल गेल अछि । आयोगमे अध्यक्ष आ चारि गोटे सदस्यसहित पाचगोटे पदाधिकारी रहबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि । मानव अधिकारक संरक्षण आ सम्बर्द्धनक क्षेत्रमे विशिष्ट योगदान देनिहार सर्वोच्च अदालतक प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदसँ सेवा निवृत्त व्यक्ति वा मानव अधिकारक संरक्षण आ सम्वर्द्धन वा समाज सेवाक क्षेत्रमे क्रियाशील रहि विशिष्ट योगदान केनिहार प्रख्यात व्यक्तिमेसँ एकगोटेके अध्यक्षमे नियुक्त करबाक व्यवस्था अछि । तहिना मानव अधिकारक संरक्षण आ सम्बर्द्धन वा समाजसेवाक क्षेत्रमे क्रियाशील रहिकऽ विशिष्ट योगदान देनिहार प्रख्यात व्यक्तिमेसँ महिला सहितक विविधता हुअए एहन चारिगोटे सदस्यसभक नियुक्तिक व्यवस्था अन्तरिम संविधानमे कएल गेल अछि ।

१४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक मुख्य कर्तव्य की-की अछि ? ओ कर्तव्य पूरा करबालेल आयोगकेँ केहन काजसभ करऽ पडैत अछि ?

उत्तर : नेपालकेँ अन्तरिम संविधान २०६३ क धारा १३२ मे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगक काज, कर्तव्य आ अधिकारक विषयमे उल्लेख कएल गेल अछि । एहिकेँ अनुसार मानव अधिकारक सम्मान, संरक्षण आ संवर्द्धन तथा एहिकेू प्रभावकारी कार्यान्वयनकेँ सुनिश्चित करब आयोगक प्रमुख कर्तव्य अछि । ओ कर्तव्य पूरा करबालेल राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ई काजसभ करैत अछि :

(क) कोनो व्यक्ति वा समूहक मानवअधिकार उल्लङ्घन वा तकर दुरुत्साहन भेलापर पीडित व्यक्ति अपने वा ओ व्यक्तिकेँ दिशसँ आयोग समक्ष प्रस्तुत वा प्रेषित निवेदन वा कोनो स्रोतसँ आयोगकेँ प्राप्त जानकारी वा आयोगक अपने स्वविवेकसँ तकर छानबिन तथा अनुसन्धान कऽ दोषीकेँ कारबाही करबालेल सिफारिस करब,

(ख) मानवअधिकारक उल्लङ्घन होबऽसँ रोकबाक जिम्मेवारी वा कर्तव्य भेल पदाधिकारी अपन जिम्मेवारी पूरा नई कएलापर वा कर्तव्य पालन नई कएलापर वा जिम्मेवारी पूरा करबालेल वा कर्तव्य पालन करबालेल उदासीनता देखओलापर ओहन पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही करबालेल सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस करब,

(ग) मानवअधिकार उल्लङ्घन कएनिहार व्यक्तिक विरुद्ध मुद्दा चलएबाक आवश्यकता भेलापर कानुनअनुसार अदालतमे मुद्दा दायर करबालेल सिफारिस करब,

(घ) मानवअधिकारक सचेतना अभिवृद्धि करबालेल नागरिक समाजसँ समन्वय आ सहकार्य करब,

(ङ) मानवअधिकारक उल्लङ्घनकर्ताकेँ विभागीय कारबाही तथा सजायँ करबालेल कारण आ आधार स्पष्ट कऽ सम्बन्धित संस्था समक्ष सिफारिस करब,

(च) मानव अधिकारसँ सम्बन्धित प्रचलित कानुनक आवधिक रूपमे पुनरावलोकन करब तथा ओइमे कएल जायबला सुधार तथा संशोधनक सम्बन्धमे नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस करब,

(छ) मानवअधिकारसँ सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताक नेपाल पक्ष बनऽके स्थितिमे तकर कारणसहित नेपाल सरकारकेँ सिफारिस करब आ पक्ष बनि चुकल सन्धि वा सम्झौताक कार्यान्वयन भेल वा नईं भेल अनुगमन कऽ कार्यान्वयन नईं भेलापर कार्यान्वयन करबालेल नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस करब,

(ज) मानव अधिकारक उल्लङ्घनक सम्बन्धमे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँ कएल गेल सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नईं केनिहार पदाधिकारी, व्यक्ति वा संस्थाके नाम कानुन अनुसार सार्वजनिक कऽ मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताक रूपमे अभिलेख राखब ।

१५. आयोग मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी केहन काजसभ करैत अछि ?

उत्तर : आयोग मानव अधिकारक संरक्षणसम्बन्धी ई काजसभ करैत अछि :

(क) मानवअधिकारक उल्लङ्घन आ दुरुत्साहन रोकबाक सम्बन्धमे छानबिन आ अनुसन्धान,

(ख) नेपाल सरकार अन्तर्गतकेँ संस्था (निकाय), कारागार वा कोनो संस्थाक भ्रमण, निरीक्षण, अवलोकन आ मानव अधिकारक संरक्षण लेल ओ संस्थाक काज, भौतिक सुविधा आदिकेँ सम्बन्धमे सुझाव देबाक,

(ग) मानव अधिकारक प्रचलनक लेल संविधान तथा प्रचलित अन्य कानुनद्वारा देलगेल संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाक प्रभावकारी कार्यान्वयनलेल आवश्यक सिफारिस करब,

(घ) मानव अधिकार स्थितिक अनुगमन कऽ प्रतिवेदन सार्वजनिक करब तथा सम्बद्ध पक्षकेँ मानव अधिकारक स्थिति सुधारऽलेल सुझाव देब ।

१६. आयोग मानव अधिकारक सम्बर्द्धन सम्बन्धी केहन काजसभ करैत अछि ?

उत्तर : आयोग मानव अधिकारक सम्बर्द्धन सम्बन्धी ई काजसभ करैत अछि :

क) मानव अधिकार सम्बर्द्धनक लेल तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन, आदि सञ्चालन करबाक,

ख) सभ तरहक सञ्चारमाध्यमक प्रयोग कऽ स्थानीय तहधरि मानव अधिकार सचेतना अभिवृद्धि करबाक,

ग) मानव अधिकारक विभिन्न विषयमे जानकारी देबालेल पुस्तक(पुस्तिका, पत्रिका आदि प्रकाशन करबाक,

घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणालीमार्फत् मानवअधिकार शिक्षाक प्रचारप्रसार करबाक,

ङ) मानव अधिकारक संरक्षण सम्बन्धमे विद्यमान कानुनी प्रत्याभूतिसभकेँ विषयमे लक्षित समुदायकेँ अवगत तथा सचेत करएबाक,

च) मानव अधिकारसम्बन्धी गैरसरकारी संस्थासभक प्रयासकेँ प्रोत्साहित करबाक,
छ) देशकेँ विद्यमान मानवअधिकारक स्थितिक सम्बन्धमे नियमित समीक्षा करबाक,
ज) मानव अधिकारक प्रवर्द्धन लेल आवश्यक आ उचित अन्य काजसभ करबाक ।

१७. मानव अधिकारक उल्लङ्घन भेलापर कत्तऽ आ के निवेदन दऽ सकैया ? निवेदनकेँ आधारपर कानुनअनुसार मुद्दा चलएबामे बाधा परैत अछि कि नईं ?

मानव अधिकार उल्लङ्घन भेलापर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक कोनो कार्यालयमे निवेदन दऽ सकैत छी । पीडित व्यक्ति अपनेसँ वा हुनका दिशसँ कियो निवेदन दऽ सकैया । निवेदन देबऽमे कोनो दस्तुर नईं लगैत अछि । निवेदन देलहेके कारण कानुनअनुसार मुद्दा चलाबऽमे कोनो बाधा नईं होइत अछि ।

१८. आयोगमे मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी निवेदन कोनाकऽ आ कोन-कोन माध्यमसँ दऽ सकैत छी ?

उत्तर : आयोगमे निवेदन देनिहार व्यक्ति अपने उपस्थित भऽ वा पीडितकेँ दिशसँ कियो मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी लिखित वा मौखिक निवेदन दऽ सकैत अछि । एहन निवेदन दैत काल एहि माध्यमक प्रयोग कऽ सकैत छी :

(क) लिखित वा मौखिक निवेदनसँ,
(ख) टेलिफोनमार्फत्,
(ग) हुलाक(डाक), द्रुत डाक सेवा, आकाशवाणी (टेलिग्राम), टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, फ्याक्स, ई-फ्याक्स, इमेल वा लिखित अभिलेख राखल जा सकए एहन अन्य दूरसञ्चारक माध्यममार्फत् ।

१९. आयोगमे मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी निवेदन दैतकाल निवेदन देनिहारके की-की बातसभ स्पष्ट करबाक चाही ?

उत्तर : निवेदन दैतकाल निवेदन देनिहारकेँ ई बातसभ स्पष्ट करबाक चाही :

(क) निवेदन देनिहार व्यक्तिक नाम, थर आ पता (ठेगाना),
(ख) कोनो संस्थाक दिशसँ निवेदन देलापर ओ संस्थाक विवरण,
(ग) निवेदनक विषय,
(घ) निवेदन देबाक कारण,
(ङ) निवेदनक सङ्क्षिप्त विवरण,
(च) निवेदनकेँ समर्थन वा पुष्टि केनिहार कोनो प्रमाण,
(छ) निवेदनकर्ता केहन कारवाई चाहैत अछि तकर विवरण,

(ज) निवेदनक विषयमे आन ठाममे जू कोनो निवेदन देल गेल हुअए तकर विवरण,
(झ) अन्य प्रासङ्गिक बात ।

२०.अत्यन्त जरुरी विषयकेँ निवेदन ककरा कहैत छै ?

उत्तर : एहि अवस्थाक मानव अधिकारक उल्लङ्घन/हनन् वा तकर दुरुत्साहनक विषयकेँ अत्यन्त जरुरी विषय मानल जायत :

(क) ककरो हत्या वा मृत्यु भेल वा हत्या वा मृत्यु होयबाक सम्भावना भेलापर,
(ख) गम्भीर यातना देलापर,
(ग) मानसिक विक्षिप्त भेलापर
(घ) कोनो समूह वा सम्प्रदाय पीडित भेलापर,
(ङ) बेपत्ता कएलगेल वा करबाक सम्भावना रहलापर,
(च) महिलाक यौन दुर्व्यवहार भेलापर,
(छ) बालबालिका, अपाङ्गता भेल व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकसँ सम्बन्धित निवेदन,
(ज) तत्काल तेहन काज नई रोकल गेल अवस्थामे मानव अधिकारक गम्भीर उल्लङ्घन वा मानवीय क्षति हएबाक सम्भावना भेलापर ।

२१. केहन मानव अधिकार उल्लङ्घनमे क्षतिपूर्ति दिअएबाक व्यवस्था अछि ?

उत्तर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग निवेदन कारबाही तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण नियमावली, २०६९ अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारणक आधारसभः आयोग नियम १८ (२) अनुसार पीडितकेँ क्षतिपूर्ति दिअएबाक निर्णय/सिफारिस करैतकाल ई बातसभकेँ सेहो आधार मानल जायत ।

(क) पीडितकेँ शारीरिक घाओ, चोट आ वास्तविक इलाज खर्चक अवस्था,
(ख) मानसिक पीडा/यातना,
(ग) सामाजिक मर्यादा,
(घ) पीडितक शारीरिक, मानसिक आ आर्थिक अवस्था,
(ड.) पीडककेँ चरित्र,
(च) मानव अधिकार उल्लङ्घनक घटनामे एहिसँ पहिने संलग्न रहल/नई रहल,
(छ) पीडककेँ आर्थिक अवस्था

२२. मानव अधिकार उल्लङ्घन भेल बात निश्चित भेलापर क्षतिपूर्तिक लेल आयोग की करैत अछि ?

उत्तर : आयोगसँ मानव अधिकार उल्लङ्घन भेल बात निश्चित भेलापर क्षतिपूर्ति दिअएबालेल सम्बन्धित संस्थाकेँ लिखिक पठएबाक व्यवस्था अछि । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगक (निवेदन, कारवाई तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण) नियमावली, २०६९ मे क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अछि ।

२३. मृत्यु भऽ गेल निश्चित भेलापर आयोग केहन क्षतिपूर्तिक लेल सिफारिस करैत अछि ?

उत्तर : मृत्यु भऽ गेल निश्चित भेलापर आयोगक क्षतिपूर्ति निर्धारण करबाक आधार : मानव अधिकार उल्लङ्घनक कारणसँ किनको मृत्यु भेलापर मृतककेँ परिवारकेँ क्षतिपूर्ति दिअएबाक निर्णय-सिफारिस करैत काल ई बातसभके आधार मानल जायत :

- मृतककेँ उमेर आ हुनक अर्थोपार्जन करऽसकबाक क्षमता,
- मृतककेँ आश्रित परिवारक संख्या आ हुनकासभक जीविकोपार्जनलेल आवश्यक न्युनतम खर्च,
- मृतककेँ नाबालक बेटाबेटीकेँ संख्या तथा हुनकासभकेँ पालन पोषण तथा हुनकाभक उच्च माध्यमिक तहधरिक पढाइ खर्च,
- मृतककेँ पति वा पत्नीक उमेर, शारीरिक अवस्था तथा जीविकोपार्जनक माध्यम,
- मृतककेँ मृत्युहोबऽसँ पहिने शारीरिक वा मानसिक यातना देल गेल वा नई देल गेल,
- मृत्यु होबऽसँ पहिने मानव अधिकार उल्लङ्घन भेलाक कारणसँ भेल इलाज खर्च,
- मृतककेँ दाहसंस्कार तथा क्रियाकर्मक खर्च ।

२४. प्रताडना (यातना) देलगेल बात निश्चित भऽ गेलापर आयोग केहन क्षतिपूर्तिक सिफारिस करैत अछि ?

उत्तर : प्रताडना (यातना) देलबात निश्चित भेलापर क्षतिपूर्ति निर्धारण करबाक आधार : प्रताडना देलगेलापर क्षतिपूर्ति दिअएबाक निर्णय/सिफारिस करैत काल ई बातसभकेँ सेहो आधार मानल जायत :

- पीडितकेँ शारीरिक आ मानसिक पीडाक मात्रा आ तकर गम्भीरता,
- शारीरिक वा मानसिक क्षतिक अवस्था आ तकर क्षतिक कारणसँ पीडितक आय आर्जन करबाक क्षमतामे भेल ह्रास,
- इलाज नईं होबऽबला शारीरिक वा मानसिक क्षति भऽ कऽ कोनो व्यवसाय करबामे असमर्थ पीडित व्यक्तिक उमेर आ हुनक जीविकोपार्जनक माध्यम आ पारिवारिक जिम्मेवारी,
- इलाज होबऽबला क्षति भेलापर इलाजमे लागल वा इलाजमे लागऽबला अनुमानित खर्च,
- इलाज होबऽबला क्षति भेलापर इलाज कराबऽमे लागऽबला समय,
- मुदा, आयोग औषधोपचारक लेल भेल खर्च अलगसँ दिअएबाक सूगहि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार होबऽबला सजायके लेल सेहो सिफारिस कऽ सकैत अछि ।

२५. गैर कानुनी कैदमे राखलगेल वा बेपत्ता कएलगेल अवस्थामे केहन क्षतिपूर्ति निर्धारण लेल सिफारिस करैत अछि ?

उत्तर : गैर कानुनी कैदमे राखल गेल वा बेपत्ता कएल गेलापर क्षतिपूर्ति निर्धारण करबाक आधार : गैर कानुनी रुपमे कैदमे राखल गेलापर वा बलपूर्वक बेपत्ता कएल गेल विषयमे निर्णय/सिफारिस करैत काल ई बातसभकेँ सेहो समेत आधार मानल जायत :

- गैर कानुनी कैदमे राखलगेल समयके अवस्था,
- गैर कानुनी कैदमे राखलगेल अवस्थामे पीडितसं कएलगेल व्यवहार,
- गैर कानुनी कैदमे राखलगेल समय,
- गैर कानुनी कैदके कारण पीडितकेँ भेल शारीरिक वा मानसिक पीडा,
- गैर कानुनी कैदमे रखलासँ पीडितकेँ भेल आर्थिक नोक्सानी वा मानव अधिकारक उल्लङ्घन वा तकर दुरुपयोग कऽ ककरो बेपत्ता कएलगेल सम्बन्धमे क्षतिपूर्ति निर्धारण करैत काल आयोग छ महिना भितरके प्रत्येक दिनक ५००।((पाँच सय) रुपैया आ छ महिनासँ बेशी भेलापर रु. ३,०००००।- (तीन लाख) रुपैयाधरि क्षतिपूर्ति निर्धारण कऽ सकैत अछि ।

२६. भेदभाव कऽ मानव अधिकार उल्लङ्घन भेलापर आयोगलग केहन क्षतिपूर्तिक निर्धारण करबाक आधारसभ अछि ?

उत्तर : ककरो जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, राजनैतिक अवस्था, उत्पत्ति, बासस्थान क्षेत्रक आधार वा तेहने आन कोनो भेदभावगरी वा कानुनमे कोनो पदमे काज करबालेल कोनो खास शारीरिक वा बौद्धिक योग्यता आवश्यक रहल कहिकऽ निश्चित कएलगेल वा काजके प्रकृतिए कोनो खास तरहक शारीरिक अवस्थाक आधारमे रोजगारी देबालेल मना करैत भेदभाव कऽ मानव अधिकार उल्लङ्घन कएलगेल विषयमे निर्णय/सिफारिस करैत काल ई बातसभके सेहो आधार मानल जायत ।

- भेदभाव कएलगेल अवस्था आ तकर प्रकृति,
- भेदभावपूर्ण व्यवहार कएलासँ सम्बन्धित व्यक्तिके भेल मानसिक पीडा आ असर,
- रोजगारी देबाक सम्बन्धमे भेदभावपूर्ण व्यवहार भेलाक कारणेँ व्यक्तिकेँ जू रोजगारी भेटल रहितइ त तखनके सम्भावित अर्थोपार्जन,
- उत्पत्ति, बासस्थानक क्षेत्र वा आधारसहितके सामाजिक वा सांस्कृतिक रुपमे भेदभावपूर्ण व्यवहार कएल गेलापर तेहन व्यवहारसँ समाजमे होबऽ बला सम्भावित परिणाम,
- धार्मिक वा राजनैतिक आस्थाक कारणसँ भेदभावपूर्ण व्यवहार कएलगेलापर तेहन व्यवहारसँ समाजमे होबऽबला परिणाम ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार

२७. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहलासँ की बुझैत छी ? नेपाल एकरा कहिया अनुमोदन कएने छल ?

उत्तर : कोनो देशकेँ नागरिक भेलाकेँ हैसियतसँ मानवकेँ प्राप्त होब॰बला नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारकेँ संरक्षण करबालेल सन् १९६६ मे संयुक्त देशसङ्घद्वारा बनाओल गेल प्रतिज्ञापत्रकेँ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहल जाइत अछि। ई प्रतिज्ञापत्र संयुक्त देशसङ्घीय महासभासँ सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मे पारित भ॰ सन् १९७६ मार्च २३ सँ लागु भेल अछि। एहिमे ५३ टा धारा अछि। नेपाल ई प्रतिज्ञापत्रकेँ सन् १९९१ मइ १४ मे अनुमोदन कएने छल।

२८. ई प्रतिज्ञापत्र नागरिककेँ केहन अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्र नागरिककेँ ई अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

(क) आत्मनिर्णयक अधिकार, धारा-१,
(ख) जीबाक अधिकार, धारा-६,
(ग) क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धक अधिकार, धारा-७,
(घ) दासत्व वा बलपूर्वक कराओल गेल श्रमविरुद्धक अधिकार, धारा-८,
(ङ) कबुल कएल दायित्व पूरा नई कएल अवस्थामे कैदमे नई राखिसकबाक अधिकार, धारा-११,
(च) स्वतन्त्र रूपमे घुमफिर करबाक अधिकार, धारा-१२,
(छ) कानुनक आगू समानताक अधिकार, धारा- १४,
(ज) कानुनक आगू व्यक्तिक रूपमे मान्यता पएबाक अधिकार, धारा-१६,
(झ) विचार, सद्विवेक तथा धर्मक स्वतन्त्रताक अधिकार, धारा-१८,

(ञ) गोपनीयताक अधिकार, धारा–१७,

(ट) बिना हस्तक्षेप विचार राखि सकबाक अधिकार (विचार आ अभिव्यक्तिक अधिकार), धारा–१९,

(ठ) शान्तिपूर्वक जमघट करबाक अधिकार, धारा(२०,

(ड) अपन हित संरक्षणलेल ट्रेड युनियन खोलबाक आ ताहिमे सम्मिलित हएबाक अधिकार, धारा(२२,

(ढ) विवाह आ परिवार आरम्भ करबाक अधिकार, धारा(२३,

(ण) बालबालिकाकेँ बिना भेदभाव आवश्यक संरक्षण भेटबाक अधिकार, धारा(२४ ।

२९. ई प्रतिज्ञापत्र जीवन सम्बन्धी अधिकारकेँ कोनाक्‍ सुनिश्चित कएने अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्रक धारा ६ जीवन सम्बन्धी अधिकारसभके एहि तरहेँ सुनिश्चित कएने अछि :

(क) प्रत्येक व्यक्तिकेँ जीवनक अधिकार अछि । कानुनद्वारा ई अधिकारक संरक्षण कएल जायत । मनमानी (स्वेच्छाचारी) रूपसँ ककरो जीवनहरण नई कएल जायत ।

(ख) मृत्युदण्ड नई हटेनिहार देशमे गम्भीर अपराधमे अपराध करैत काल प्रभावी रहल कानुनअनुसार आ ई प्रतिज्ञापत्रक व्यवस्था तथा आमहत्या अपराध रोकबाक तथा सजायसम्बन्धी महासन्धिक व्यवस्था विपरीत नई हुअए एहि तरहेँ मृत्युदण्ड देल जा सकैया । सक्षम अदालतद्वारा कएल गेल अन्तिम निर्णयअनुसार मांग भेल दण्ड कार्यान्वयन कएल जा सकैया ।

(ग) मृत्युदण्डक सजाय सुनाओल गेल कोनो व्यक्तिकेँ सजायसँ माफी वा दण्ड कटौतीक मांग करबाक अधिकार हएत । सभ मुद्दासभमे माफी देबाक, क्षमादान देबाक वा मृत्युदण्डक सजायकेँ कम कएल जा सकैया ।

(घ) १८ वर्षसँ कम उमेरके व्यक्तिसँ कएलगेल अपराधमे मृत्युदण्ड नई देल जायत तथा गर्भवती महिलाकेँ लेल सेहो एहन दण्डक कार्यान्वयन नई हएत ।

३०. ई प्रतिज्ञापत्र व्यक्तिकेँ केहन स्वतन्त्रता आ सुरक्षाक अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्रक धारा ९ व्यक्तिकेँ स्वतन्त्रता आ सुरक्षाक लेल निचा लिखल अधिकारसभ प्रदान कएने अछि (

(क) ककरो स्वेच्छाचारी रूपसँ नई पकडल जायत आ कैदमे नई राखल जायत । कानुनद्वारा निर्धारित वा कार्यविधिअनुसार बाहेक ककरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताक अपहरण नई कएल जायत ।

(ख) पकडल गेल व्यक्तिकेँ पकडैत काल पकडबाक कारणके विषयमे जानकारी देब□ पडत आ यथाशीघ्र हुनकाविरुद्ध लागल अभियोग सम्बन्धमे सेहो सूचित कराब□ पडत ।

(ग) कोनो फौजदारी अभियोगमे पकडाएल वा कैदमे राखल गेल कोनो व्यक्तिकेँ न्यायाधीश आ कानुनद्वारा न्यायिक शक्ति प्रयोग करबाक अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुत्त आनल जायत । ओ व्यक्तिकेँ उचित समयभितर सुनुवाइ के वा छुट्कारा पएबाक अधिकार हएत । सुनुवाइक अवसरके प्रतीक्षामे रहल व्यक्तिकेँ पकडब सामान्य नियम नईं हएत मुदा हुनक रिहाइ न्यायिक कारबाहीक अन्य कोनो चरणकेँ सुनुवाइमे उपस्थित हएबाक अवस्था उत्पन्न भेलापर फैसला कार्यान्वयन करबालेल जमानत धरौटीक अधीनमे रहत ।

(घ) पकडाएल वा कैदसँ स्वतन्त्रता अपहरण कएलगेल कोनो व्यक्ति कोनो अदालत समक्ष कारबाही शुरु कऽ सकत । अदालत बिलम्ब नईं कऽ हुनक कैदकेँ वैधताक सम्बन्धमे निर्णय करबाक तथा कैदमे रखबाक कार्य वैधानिक नईं भेलापर हुनका रिहा करबाक आदेश दऽ सकैत अछि ।

(ङ) गैरकानुनी रुपसँ पकडाएल वा कैदसँ पीडित कोनो व्यक्तिकेँ उचित क्षतिपूर्ति लेबाक अधिकार हएत ।

३१. ई प्रतिज्ञापत्र अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायकेँ अपन सम्प्रदायक अस्तित्व कायम राखऽलेल केहन अधिकार प्राप्त अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्र अनुसार प्रत्येक सम्प्रदायकेँ अपन सम्प्रदायक अस्तित्व कायम राखऽलेल धार्मिक स्थल आ धार्मिक गुठीक सञ्चालन आ संरक्षण करबाक अधिकार अछि ।

३२. ई प्रतिज्ञापत्र अनुसार अल्पसंख्यकसभक भाषा, लिपि आ संस्कृतिक संरक्षण तथा सम्बर्द्धनक सम्बन्धमे केहन अधिकार प्राप्त अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्रक धारा २७ अनुसार अल्पसङ्ख्यक समुदायकेँ सेहो आने जकाू अपन भाषा, लिपि आ संस्कृति संरक्षण तथा सम्बर्द्धन करबाक अधिकार अछि । सूगहि हुनकासभकेँ सनातनसँ चलिआएल अपन धर्मक अवलम्बन आ अभ्यास करबाक स्वतन्त्रता अछि ।

आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार

३३. आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहलासँ की बुझैत छी ? नेपाल ई प्रतिज्ञापत्रकेँ कहिया अनुमोदन कएने छल ?

उत्तर : मानवकेँ आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकारसभक संरक्षण करबालेल बनाओल गेल प्रतिज्ञापत्रकेँ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र कहल जाइत अछि । ई प्रतिज्ञापत्र संयुक्त देशसङ्घक महासभासँ सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मे पारित भेल छल आ सन् १९७६ जनवरी ३ सँ लागु भेल अछि । एहिमे ३१ टा धारा अछि । ई प्रतिज्ञापत्रकेँ नेपाल सन् १९९१ मे १४ तारिखक अनुमोदन कएने छल ।

३४. नागरिककेँ केहन अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्र नागरिककेँ एहि तरहेँ अधिकारक व्यवस्था कएने अछि :

(क) आत्मनिर्णयक अधिकार, धारा- १,
(ख) महिला आ पुरुषक समान अधिकार, धारा- ३,
(ग) काज करबाक अधिकार, धारा- ६,
(घ) सङ्गठन वा ट्रेड युनियन खोलबाक अधिकार, धारा- ८ (१) क,
(ङ) हड्ताल करबाक अधिकार, धारा- ८(१) घ,
च) सामाजिक सुरक्षाक अधिकार, धारा- ९,
(छ) विवाह तथा परिवारक अधिकार, धारा- १० (१),
(ज) मातृत्वक संरक्षणक अधिकार, धारा- १० (२),
(झ) आर्थिक, सामाजिक शोषणसँ सुरक्षा पएबाक अधिकार धारा (१० (३),

(ञ) भोजन, कपडा तथा आबासक अधिकार, धारा- ११ (१),

(ट) भुखसँ मुक्त हएबाक अधिकार, धारा- ११ (२),

(ठ) स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार, धारा- १२ (१),

(ड) शिक्षासम्बन्धी अधिकार, धारा-१३ (१) ।

३५. राज्यकेँ केहन दायित्व निर्वाह करबाक व्यवस्था अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्र अनुसार राज्यकेँ निचा लिखल दायित्वसभ निर्वाह करऽ पडत :

(क) परिवार स्थापनाक लेल सुरक्षा तथा सहायता देबाक, धारा- १०(१),

(ख) बच्चा जन्मऽसँ पहिने आ बादमे मायकेँ विशेष संरक्षण देबाक, धारा- १०(२),

(ग) पितृत्व वा अन्य अवस्थाक कारणसँ कोनो भेदभाव बिना सम्पूर्ण बालबालिका तथा युवासभक पक्षमे संरक्षण एवम् सहायताक विशेष उपायसभ अबलम्बन करबाक, धारा- १०(३),

(घ) प्रत्येक व्यक्तिकेँ पर्याप्त भोजन, लत्ताकपडा तथा आवासक अधिकार प्राप्ति सुनिश्चित करबालेल उपयुक्त काजसभ करबाक, धारा- ११(१),

(ङ) प्रत्येक व्यक्तिकेँ शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यक उच्च स्तरक सेवा उपभोग करबाक अधिकारक पूर्ण प्राप्ति करबालेल कएल जायबला काज, धारा- १२ (२) । एहि अन्तर्गत

- शिशु मृत्युदर घटएबालेल तथा बालस्वास्थ्यक व्यवस्था करबाक,
- वातावरणीय तथा औद्योगिक सरसफाइक सम्पूर्ण पक्षक सुधार करबाक,
- प्रकोप, महामारी तथा अन्य रोगसभक इलाज आ नियन्त्रण करबाक,
- रोगी भेल अवस्थामे सभकेँ चिकित्सागत सेवा तथा देखरेख सुनिश्चित करबाक अवस्थासभक निर्माण करबाक ।

शिक्षाक अधिकार पूर्ण प्राप्ति करबालेल आवश्यक काज, धारा- १३ (२) । एहि अन्तर्गत

- सभक लेल प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य आ निःशुल्क होयबाक,
- माध्यमिक तहमे प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासेहो संलग्न कऽ ताहिमे सभहक सहभागिता कायम करबाक,
- उच्च शिक्षामे समान रूपसँ सभहक सहभागिता सुनिश्चित हएबाक,
- प्राथमिक शिक्षा पूरा नई केनिहारकेँ शैक्षिक कार्यक्रममे सहभागी करएबाक,
- सभतहमे पाठशाला प्रणालीक विकास, छात्रवृत्तिक पर्याप्त व्यवस्था तथा शिक्षण कर्मचारीक भौतिक अवस्था निरन्तर सुधार करबाक ।

३६. व्यक्तिक रोजगारी आ पारिश्रमिकसम्बन्धी केहन अधिकारसभ देल गेल अछि ?

उत्तर : ई प्रतिज्ञापत्रक धारा ६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिकेँ स्वेच्छासँ रोजगारी चुनबाक आ

काज करबालेल उचित आ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करबाक अधिकार अछि। तहिना, धारा ७ (क) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिकेँ बिना भेदभाव समान काजके लेल समान पारिश्रमिक पाबऽके अधिकारक व्यवस्था अछि।

३७. माय आ बच्चाकेँ लेल कोनो विशेष अधिकार अछि ?

उत्तर : अछि, ई प्रतिज्ञापत्रक धारा १० (२) मे माय आ बच्चाकेँ विशेष देखरेख आ सहायता पएबाक अधिकारक विषयमे स्पष्ट लिखल अछि। गर्भवती होबऽसँ पहिने आ बादमे रोजगार महिला तलब सुविधासहितक उचित छुट्टी पाओत।

३८. सामाजिक अधिकारभितर कोन अधिकारसभ अबैत अछि ?

उत्तर : सामजिक अधिकारभितर ई अधिकारसभ अबैत अछि :

क) सामाजिक सुरक्षाक अधिकार,

ख) भोजन, लत्ताकपडा आ आवासक अधिकार,

ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार,

घ) शिक्षा सम्बन्धी अधिकार।

जातीय भेदभाव विरूद्धक अधिकार

३९. नेपालमे जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धमा केहन व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तर : नेपालमे जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर आ सजाय) ऐन २०६८, संसदद्वारा मिति २०६८।२।१० मे ई ऐन पारित कएल गेल अछि। एहिमे प्रथा, परम्परा, धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कोनो नाममे जाति, वंश समुदाय वा जीविकाके आधारमे छुवाछुत तथा भेदभाव नई हएबाक अवस्थाक निर्माण कऽ प्रत्येक व्यक्तिक समानता, स्वतन्त्रता आ सम्मानपूर्वक जीबाक अधिकारक संरक्षण कऽ एहन मानवता विरोधी भेदभावजन्य काजकेँ दण्डनीय वनओने अछि आ पीडितकेँ क्षतिपूर्तिक व्यवस्था कएल गेल अछि।

४०. सभ तरहक जातीय भेदभाव निर्मूल (उन्मूलन) करबाक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि की अछि ? नेपाल ई महासन्धिकेँ कहिया अनुमोदन कएने छल ?

उत्तर : सभतरहक जातीय भेदभाव निर्मूल करबाक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ कहलासँ सभ तरहक जातीय भेदभाव निर्मूल करबाक तथा जातीय भेदभावक कारण पीडित भेल व्यक्ति वा समूहक अधिकारक संरक्षण आ सम्बर्द्धन करबालेल बनल अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि बुझल जाइत अछि। ई महासन्धि संयुक्त देशसङ्घक महासभासँ सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मे पारित भऽ कऽ सन् १९६९ जनवरी ४ सँ लागु भेल अछि। एहिमे २५ टा धारासभ अछि। नेपाल ई महासन्धिकेँ सन् १९७१ जनवरी ३० मे अनुमोदन कएने छल।

४१. ई महासन्धिमे जातीय भेदभावकेँ कोनाक॰ परिभाषित कएल गेल अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा १ 'जातीय भेदभाव कहलासँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आ सार्वजनिक जीवनमे वा कोनो क्षेत्रमे जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमे आधारित कोनो भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकताके बुझल जाइत अछि' कहिक॰ परिभाषित कएने अछि । मुदा, एहि तरहक जातीय विभेद, निषेध वा प्रतिबन्ध पक्षदेशक नागरिक आ गैरनागरिकबीच समान रुपसँ लागु नईं हएत ।

४२. ई महासन्धि जातीय विभेदविरुद्ध केहन अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा-५ जातीय विभेद विरुद्धमे एहि तरहेँ अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

(क) न्यायाधीकरण (ट्राइबुनल) तथा न्याय प्रदान कएनिहार आन सभ अङ्गक आगू समान व्यवहारक अधिकार,

(ख) कोनो व्यक्तिउपर कोनो सरकारी अधिकारी, समूह वा संस्थादिशसँ होब॰बला हिंसा वा शारीरिक क्षतिविरुद्ध पीडित व्यक्ति राज्यसँ संरक्षण पएबाक अधिकार,

(ग) राजनीतिक अधिकार खासक॰ सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारक आधारमे निर्वाचनसभमे सहभागी हएबाक(मतदान करबाक तथा उम्मेदवार बनबाक अधिकार, सरकार तथा कोनो तहमे सार्वजनिक मामिलाक सञ्चालनमे भाग लेबाक अधिकार तथा सार्वजनिक सेवामे समान पहुँचक अधिकार,

(घ) अन्य नागरिक अधिकारसभ :

१) देशक सीमानाभितर अएनाइ गेनाइ तथा रहबाक स्वतन्त्रताक अधिकार,

२) अपन देशसहित कोनो देशसँ बाहर निकलबाक आ अपन देशमे घुरिक॰ अएबाक अधिकार,

३) राष्ट्रियताक अधिकार,

४) विवाह करबाक तथा वरकनिआ चुनबाक अधिकार,

५) असगरे वा आनसँ मिलिक॰ सम्पत्ति रखबाक अधिकार,

६) पूर्खाक सम्पत्ति प्राप्त करबाक अधिकार,

७) विचार, सद्विवेक आ धर्मक स्वतन्त्रताक अधिकार,

८) विचार आ अभिव्यक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार,

९) शान्तिपूर्ण जमघट करबाक तथा सङ्गठन बनएबाक स्वतन्त्रताक अधिकार ।

(ङ) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसभः

१) काज करबाक, स्वेच्छासँ रोजगारी चुनबाक, काजक उचित आ अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करबाक, बेरोजगारीविरुद्ध संरक्षण पएबाक, समान काजके लेल समान तलब पएबाक, उचित पारिश्रमिक पएबाक अधिकार,

२) ट्रेड युनियन स्थापना करबाक तथा ताहिमे सम्मिलित हएबाक अधिकार,

३) आवासक अधिकार,

४) सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक सेवासभ प्राप्त करबाक अधिकार,

५) शिक्षा तथा तालिम (प्रशिक्षण) क अधिकार,

६) सांस्कृतिक क्रियाकलापसभमे समान सहभागिताक अधिकार ।

(च) यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, नाचघर तथा उद्यानजेहन सार्वजनिक स्थान वा सेवामे पहुँचक अधिकार ।

४३. कानो व्यक्ति वा समूहउपर जातीयताक आधारमे भेदभाव भेलापर पीडित पक्षक लेल ई महासन्धि केहन व्यवस्था कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा ६ जातीय भेदभावक कारणसँ भेल कोनो क्षतिक लेल उपयुक्त आ उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करबाक सम्बन्धमे आवश्यक काज कएल जाय से व्यवस्था कएने अछि ।

महिला अधिकार

४४. महिलाविरुद्ध होबऽबला सभतरहक भेदभाव निर्मूल करबाक महासन्धि कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तर : महिलाविरुद्ध होबऽबला सभतरहक भेदभाव निर्मूल करबाक महासन्धि महिलाक मानवअधिकार संरक्षण करऽबला प्रमुख महासन्धि अछि। महिलाविरुद्ध होबऽबला भेदभाव निर्मूल करब एवम् महिला आ पुरुषबीच समानता कायम करब एहि महासन्धिक मुख्य उद्देश्य अछि। ई महासन्धि संयुक्त देशसङ्घक महासभाद्वारा सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मे पारित भऽ सन् १९८१ सेप्टेम्बर ३ सँ लागु भेल अछि। ई महासन्धिमे ३० टा धारा अछि। ई महासन्धिकेँ नेपाल सन् १९९१ अप्रिल २२ मे अनुमोदन कएने अछि।

४५. महिला विरुद्धक भेदभावकेँ कोनाकऽ परिभाषित कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा १ मे महिला विरुद्धक भेदभावकेँ एहि तरहेँ परिभाषित कएल गेल अछिः 'महिलाविरुद्धक भेदभावक अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा आन कोनो विषयमे वैवाहिक स्थिति केहनो हुअए, लिङ्गक आधारमे होबऽबला कोनो भेदभाव, बहिष्कार वा प्रतिबन्ध होइत अछि।'

४६. महिलाकेँ केहन अधिकारसभ प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : महासन्धि महिलाकेँ ई अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

क) बेचबाक तथा वेश्यावृत्तिक लेल कएल गेल यौन शोषणविरुद्धक अधिकार, धारा ६,

ख) सार्वजनिक आ राजनीतिक जीवनमे सहभागिताक अधिकार, धारा-७,

ग) अन्तर्राष्ट्रिय तहमे सहभागी हएबाक समान अधिकार, धारा-८,
घ) राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, धारा-९,
ङ) शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, धारा-१०,
च) रोजगारीक अधिकार, धारा-११,
छ) स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, धारा-१२,
ज) आर्थिक तथा पारिवारिक लाभक अधिकार, धारा-१३,
झ) ग्रामीण महिलाकेँ विशेष अधिकार, धारा-१४,
ञ) कानुनी समानताक अधिकार, धारा-१५,
ट) विवाह तथा परिवारक अधिकार, धारा-१६ ।

४७. महिलाकेँ सार्वजनिक आ राजनीतिक जीवनमे सहभागिताक केहन अधिकार प्राप्त अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा-७ महिलाकेँ सार्वजनिक आ राजनीतिक जीवनमे पुरुषसरह समान सहभागिताक अधिकार प्रदान कएने अछि । एहि अन्तर्गत ई अधिकारसभ अछि :

(क) प्रत्येक महिलाकेँ मत देबाक अधिकार,
(ख) सार्वजनिक रूपसँ सार्वजनिक पद धारण करबाक अधिकार,
(ग) नीति निर्माणमे सहभागी हएबाक अधिकार,
(घ) गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक सङ्गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमे सहभागी हएबाक अधिकार ।

४८. महिलाक राष्ट्रियता सम्बन्धमे केहन व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा ९ महिलाक राष्ट्रियताक सम्बन्धमे एहि तरहेँ व्यवस्था कएने अछि :

(क) पुरुषसरह राष्ट्रियता प्राप्त करबाक, परिवर्तन करबाक वा धारण करबाक समान अधिकार,
(ख) विदेशीसँ विवाह भेलाक कारणसँ वा पति राष्ट्रियता परिवर्तन कएलाक कारणसँ पत्नीक राष्ट्रियता स्वतः परिवर्तन नईं हएबाक अधिकार,
(ग) पतिक राष्ट्रि यता कत्तउके हुअए महिलाकेँ अपन इच्छाअनुसारके राष्ट्रियता धारण करबाक अधिकार,
(घ) सन्तानकेँ राष्ट्रियता दिअएबाक सम्बन्धमे पुरुषसरह महिलाकेँ सेहो समान अधिकार ।

४९. महिलाकेँ शिक्षा क्षेत्रमे केहन अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा १० शिक्षा क्षेत्रमे महिलाकेँ सेहो पुरुष बराबर ई अधिकारसभ प्रदान कएने अछि:

(क) अध्ययन करबाक आ उपाधि पएबाक अधिकार,

(ख) सभ प्रकारकेँ व्यावसायिक प्रशिक्षणक अधिकार,
(ग) समान भौतिक सुविधाक शैक्षिक अधिकार,
(घ) छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार,
(ङ) पढाइ छोडनिहार छात्रासभक सक्रिय रूपमे शैक्षिक कार्यक्रममे सहभागी हएबाक अधिकार,
(च) खेलकुद तथा शारीरिक शिक्षामे भाग लेबाक समान अवसरक अधिकार,
(छ) परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना/सल्लाह एवम् परिवारक स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पएबाक अधिकार ।

५०.महिलाकेँ रोजगारी सम्बन्धी केहन अधिकार प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा ११ महिलाकेँ सेहो पुरुषे जकाू रोजगारी सम्बन्धी अधिकारसभ प्रदान अछि । तहिना इएह धारा विवाह वा मातृत्वक आधारमे महिलाविरुद्ध होबऽबला भेदभाव विरुद्धक अधिकारसभ सेहो सुनिश्चित कएने अछि । ई अधिकारसभ एहि तरहेँ अछि :

(क) रोजगारीमे समान अवसरक अधिकार,
(ख) स्वतन्त्र रूपमे रोजगारी चयन करबाक अधिकार,
(ग) सेवाक सर्त आ सुरक्षासम्बन्धी अधिकार,
(घ) समान पारिश्रमिक तथा सुविधाक अधिकार,
(ङ) पूरा तलब सहितक प्रसूति बिदाक अधिकार,
(च) गर्भवती भेलाक आधारमे पदसँ नईं हटा सकबाक अधिकार
(छ) बच्चाक भरणपोषणकेँ सुविधा उपभोगक अधिकार,
(ज) गर्भवती महिलाकेँ खतरनाक काजमे नईं लगासकबाक अधिकार ।

५१. महिलाक स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमे केहन व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा-१२ स्वास्थ्य क्षेत्रमे महिलाउपर होबऽबला भेदभाव विरुद्ध ई अधिकारसभ प्रदान कएने अछि :

(क) महिलाकेँ परिवार नियोजनसँ सम्बन्धित स्वास्थ्य आ भरणपोषणसम्बन्धी सेवा बिना कोनो भेदभाव पुरुषसरह प्रदान कएल जायत,
(ख) महिलाकेँ गर्भवती, प्रसूति आ प्रसूतिबादके समयमे आवश्यक सेवासभ देल जायत,
(ग) गर्भवती तथा स्तनपानक समयमे महिलाकेँ पर्याप्त पोषण उपलब्ध करएबालेल आवश्यक व्यवस्था कएल जायत ।

५२. महिलाकेँ विवाह आ परिवारक सम्बन्धमे कोन कोन अधिकारसभ प्राप्त अछि ?

उत्तर : महासन्धिक धारा १६ महिलाकेँ विवाह आ परिवारक सम्बन्धमे ई अधिकार प्रदान कएने अछि :

(क) विवाह करबाक अधिकार,
(ख) स्वतन्त्ररूपमे अपन जीवनसाथी चुनबाक अधिकार,
(ग) सम्बन्ध विच्छेदक अधिकार,
(घ) सम्पत्तिमे पति(पत्नी दुनूक समान अधिकार,
(ङ) सन्तान कत्तेक जन्माएब, कहिया जन्माएब से निर्णय करबाक अधिकार,
(च) सन्तानक संरक्षकत्व ग्रहण करबाक अधिकार ।

५३. ग्रामीण महिलाकेँ कोन विशेष अधिकारसभ प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा १४ ग्रामीण महिलाकेँ पुरुषे जका विकासमे सहभागी हेबालेल ई अधिकार प्रदान कएने अछि :

(क) विकास योजनाक बिस्तृतीकरण आ कार्यान्वयनक हरेक तहमे सहभागी हेबाक अधिकार,
(ख) परिवार नियोजनक सूचना, सल्लाह आ सेवासहित पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा पएबाक अधिकार,
(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँ प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करबाक अधिकार,
(घ) औपचारिक तथा अनौपचारिक तालिम आ शिक्षा प्राप्त करबाक अधिकार,
(ङ) स्वरोजगारीक लेल स्वावलम्बन समूहसभ तथा सहकारी संस्थासभ गठन कऽ सकबाक अधिकार,
(च) समस्त सामुदायिक क्रियाकलापमे सहभागीताक अधिकार,
(छ) आवास, सरसफाइ, बिजली, यातायात, पानि तथा सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्थासभ उपभोग करबाक अधिकार ।

प्रताडना विरूद्धक अधिकार

५४. 'प्रताडना' शब्दक अर्थ की अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिको धारा १ (१) अनुसार 'प्रताडना' (यातना) शब्द कोनो सार्वजनिक अधिकारी वा सार्वजनिक अधिकारीक हैसियतसँ काज कएनिहार कोनो व्यक्तिसँ वा हुनक सहमति वा मौन सहमतिसँ कोनो व्यक्ति वा तेसर व्यक्तिसँ जानकारी वा साबिती लेबाक वा तेसर व्यक्ति कएने अछि से कहिकऽ शङ्का कएल गेल काजक लेल दण्ड देबाक वा ओ व्यक्ति वा तेसर व्यक्तिकेँ त्रास देखौनाइ वा जबदस्ती कएनाइ जेहन उद्देश्यसभक लेल वा कोनो तरहक भेदभावमे आधारित कोनो कारणलेल ओ व्यक्तिकेँ जानाजान देलगेल शारीरिक वा मानसिक कठोर पीडा, कष्ट देबाक काजके कहैत अछि ।

५५.प्रताडना (यातना) तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धक महासन्धि कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तरः कोनो व्यक्तिकेँ पीडा वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड नई देल जयबाक तथा एहन क्रियाकलापसँ हुनकासभक अधिकारक संरक्षण आ सम्बर्द्धन करबाक महासन्धिकेँ प्रताडना(यातना) तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड विरुद्धक महासन्धि कहल जाइत अछि । ई महासन्धि संयुक्त देशसङ्घक महासभाद्वारा सन् १९८४ डिसेम्बर १० मे पारित भऽ सन् १९८७ जुन २६ सँ लागु भेल अछि । ई महासन्धिमे ३३ टा धारा अछि । ई महासन्धिकेँ नेपाल सन् १९९१ मे १४ कऽ अनुमोदन कएने अछि ।

५६. की प्रताडना दऽ कऽ लेल गेल बयानकेँ प्रमाणक रूप मानल जाइत अछि ?

उत्तरः ई महासन्धिक धारा १५ अनुसार प्रताडना (यातना) दऽ कऽ लेलगेल बयानकेँ प्रमाणक रूप नई मानल जा सकैया ।

५७. प्रताडनासँ पीडितक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी अधिकारक विषयमे की कहैत अछि ?

उत्तर : प्रताडनासँ पीडित व्यक्ति उचित तथा पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त कऽ सकैत अछि। प्रताडनाक फलस्वरूप पीडित भेनिहार व्यक्तिक मृत्यु भेलामे हुनक आश्रितकेँ क्षतिपूर्ति पएबाक अधिकार अछि। कानुन कार्यान्वयन कएनिहार कर्मचारी, निजामती वा सैनिक, चिकित्सा कर्मचारी, सार्वजनिक अधिकारी तथा कोनो तरहसँ पकडाएल, कैदमे परल कोनो व्यक्तिकेँ कैद, सोधपुछ वा इलाजमे संलग्न भेनिहार अन्य व्यक्तिक तालिममे पीडा निषेधसम्बन्धी शिक्षा तथा जानकारी समावेश करबापर जोड दैत अछि।

बाल अधिकार

५८. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तर : बालबालिका अधिकारक संरक्षण आ सम्बर्द्धन कएनिहार अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिकेँ बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि कहल जाइत अछि । ई महासन्धि संयुक्त देशसङ्घक महासभासँ सन् १९८९ नोभेम्बर २० मे पारित भऽ सन् १९९० सेप्टेम्बर २ सँ लागु भेल अछि । ई महासन्धिमे ५४ टा धारा अछि । ई महासन्धिक धारा १८ अनुसार बालबालिकाकेँ पालनपोषण लेल प्राथमिक दायित्व मायबापक होइत अछि आ एहिमे राज्यकेँ सेहो सहयोग करबाक चाही । नेपाल ई महासन्धिकेँ सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मे अनुमोदन कएने अछि ।

५९.बालबालिकाकेँ केहन अधिकारसभ प्रदान कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा १ मे बालबालिकासम्बन्धी कानुनद्वारा पहिनहि बालिग होइत अछि से कहिकऽ निश्चित कएलगेल बाहेक १८ वर्षसँ कम उमेरके व्यक्तिकेँ बालबालिका कहिकऽ परिभाषित कएने अछि । ई महासन्धि बालबालिकाकेँ एहि तरहेँ अधिकार प्रदान कएने अछि :-

(क) नाम आ राष्ट्रियताक अधिकार,
(ख) मायबापसङगे रहबाक अधिकार,
(ग) पारिवारिक पुनर्मिलनक अधिकार,
(घ) बालबालिकाकेँ विचार प्रकट करबाक आ विचारकेँ उचित मान्यता देल जयबाक अधिकार,
(ङ) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताक अधिकार,
(च) विचार, विवेक आ धर्मसम्बन्धी स्वतन्त्रताक अधिकार,
(छ) सङ्गठन सम्बन्धी स्वतन्त्रताक अधिकार,
(ज) निजता संरक्षणक अधिकार,

(झ) उचित जानकारी प्राप्तिक अधिकार,
(ञ) अपाङ्ग बालबालिकाक अधिकार,
(ट) स्वास्थ्य आ स्वास्थ्यसेवाक अधिकार,
(ठ) सामाजिक सुरक्षाक अधिकार,
(ड) शिक्षाक अधिकार,
(ढ) अल्पसङ्ख्यक वा आदिवासी जनताक बालबालिकाक अधिकार,
(ण) फुर्सति, आराम आ सांस्कृतिक क्रियाकलाप करबाक अधिकार,
(त) नशा लागऽबला पदार्थक दुरूपयोग सम्बन्धी अधिकार,
(थ) यौन शोषणसँ संरक्षण पएबाक अधिकार,
(द) आन तरहक शोषणसँ सुरक्षित हएबाक अधिकार ।

६०. बालबालिकाप्रति राज्यकेँ कोन कोन दायित्व निर्वाह करऽ पडैत छै ?

उत्तरः ई महासन्धि अनुसार बालबालिकाप्रति राज्यकेँ निर्वाह करऽबला दायित्व ईसभ अछिः

(क) भेदभाव नईं करबाक
(ख) मायबाप वा अन्य जिम्मेवार व्यक्ति बेवास्ता कएलापर पर्याप्त पालनपोषण करबाक
(ग) अधिकारसभक कार्यान्वयन करबाक
(घ) मायबापक मार्गदर्शन आ बालबालिकाक उदयोन्मुख क्षमता अभिवृद्धि करबाक
(ङ) दीर्घजीवन आ विकास करबाक
(च) परिचय संरक्षण करबाक
(छ) मायबापसँ बिछोड भेलापर संरक्षण देबाक
(ज) बालबालिकाकेँ विदेशमे अवैध स्थानान्तरण वा अपहरणसम्बन्धी अधिकारक रक्षा करबाक
(झ) बालबालिकाकेँ ज्ञानबर्द्धक जानकारी देबाक
(ञ) दुर्व्यवहार आ उपेक्षासँ संरक्षण करबाक
(ट) परिवारबिहीन बालबालिका संरक्षण करबाक
(ठ) शरणार्थी बालबालिकाकेँ संरक्षण आ सहयोग करबाक
(ड) बाल मजदुरक संरक्षण करबाक
(ढ) बेचनाइ, सौदाबाजी आ अपहरण नियन्त्रण करबाक
(ण) सामाजिक पुनर्स्थापना करबाक
(त) उचित न्यायिक कारबाइ करबाक

६१.बालबालिकाद्वारा कएल गेल अपराध सम्बन्धमे ई महासन्धि केहन व्यवस्था कएने अछि ?

उत्तरः ई महासन्धिक धारा ३७ बालबलिकाद्वारा कएलगेल अपराधक सम्बन्धमे एहि तरहेँ व्यवस्था कएने अछि :

(क) बालबालिकाकेँ पीड़ा नईं देबाक तथा अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार वा सजाय नईं करबाक,

(ख) १८ वर्षसँ कम उमेरक व्यक्तिद्वारा कएल गेल कसुरके लेल मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावासक सजाय नईं देल जयबाक,

(ग) बालबालिकाकेँ कोनो स्वतन्त्रता अपहृण नईं करबाक,

(घ) सक्षम आ स्वतन्त्र अदालतसँ सुनुवाइ करबाक ।

६२. बालबालिकाकेँ शिक्षासम्बन्धी राज्यकेँ केहन व्यवस्था करऽ पड़ैत अछि ?

उत्तरः ई महासन्धिक धारा २८ अनुसार राज्यकेँ बालबालिकाक शिक्षा सम्बन्धमे ई व्यवस्था करबाक चाही :

(क) प्राथमिक शिक्षा सभकेँ अनिवार्य आ निःशुल्क उपलब्ध करएबाक,

(ख) प्रत्येक बालबालिकाकेँ माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराकऽ आ माध्यमिक शिक्षामे पहुँच बनएबाक,

(ग) क्षमताक आधारमे सभहक लेल उपयुक्त साधनद्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक अवस्था बनएबाक,

(घ) सम्पूर्ण बालबालिकाकेँ शैक्षिक आ व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध करएबाक,

(ङ) विद्यालयमे नियमित हाजिरीकेँ प्रोत्साहित करबाक आ पढ़ाइ छोड़निहारक सङ्ख्या घटएबालेल विभिन्न उपाय करबाक ।

६३. सशस्त्र सङ्घर्षक समयमे बालबालिकाप्रति राज्यक केहन दायित्व रहैत अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिक धारा ३८ अनुसार सशस्त्र सङ्घर्षक समयमे बालबालिकाप्रति राज्यक दायित्व एहि तरहेँ होइत अछि :

(क) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनमे सशस्त्र सङ्घर्षक सम्बन्धमे राज्य बालबालिकासँ सम्बन्धित व्यवस्थाकेँ आदर करत आ कराओत,

(ख) १५ वर्ष नईं पहुचल बालबालिकाकेँ लड़ाईंमे प्रत्यक्ष सहभागी नईं करएबाक व्यवस्था करबालेल हरसम्भव उपाय अपनएबाक,

(ग) १५ वर्ष नईं पहुचल कोनो व्यक्तिकेँ सशस्त्र सेनामे भर्ना करबासँ रोकबाक,

(घ) १५ वर्ष पहुँच गेल मुदा १८ वर्ष नईं पहुचल व्यक्तिमेसँ भर्ना करैत काल जेठकेँ प्राथमिकता देबाक,

(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार सशस्त्र लड़ाइसँ गैरसैनिक नागरिककेँ बचएबाक आ अपन जिम्मेवारी भेलाक कारणेँ सशस्त्र लड़ाइसँ प्रभावित बालबालिकाकेँ संरक्षण आ रेखदेख करबाक सम्बन्धमे आवश्यक काज कएल जयबाक ।

आप्रवासी श्रमिकक अधिकार

६४. आप्रवासी श्रमिक कहलासँ की बुझै छी ? आप्रवासी श्रमिक कतेक तरहक होइत अछि ?

उत्तर : ई महासन्धि अनुसार विदेशमे तलब (पारिश्रमिक) भेटऽबला काजमे लगाओल जायबला, लागल वा लगाओल जायबला व्यक्तिकेँ आप्रवासी श्रमिक कहैत छै । ई महासन्धि आप्रवासी श्रमिककेँ आठ समूहमे विभाजन कएने अछि :

१) सीमाक्षेत्रक श्रमिक,
२) विदेशी प्रतिष्ठानक श्रमिक,
३) मौसमी श्रमिक,
४) यात्रा सूचीक श्रमिक,
५) आयोजनामे आबद्ध श्रमिक,
६) सामूहिक श्रमिक,
७) विशेष रोजगारीक श्रमिक,
८) स्वरोजगार श्रमिक ।

६५. केहन व्यक्ति आप्रवासी श्रमिक नइं अछि ?

उत्तरः ई महासन्धिकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा निकायमे काज कएनिहार व्यक्ति, कुटनीतिज्ञ, लगानीकर्ता, शरणार्थी आ राज्यविहीन व्यक्ति, विद्यार्थी एवम् प्रशिक्षार्थी आप्रवासी श्रमिक नइं अछि ।

६६. आप्रवासी श्रमिक तथा हुनक परिवारक सदस्यक अधिकारक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तर : आप्रवासी श्रमिक तथा हुनक परिवारक सदस्यकेँ मानवअधिकार संरक्षण करबालेल संयुक्त राष्ट्र सङ्घक महासभा ई महासन्धिकेँ सन् १९९० डिसेम्बर १८ मे पारित कएने अछि । सन् २००३ जुलाइ १ सँ लागु भेल अछि । एहिमे ९३ टा धारा अछि । नेपाल ई सन्धिकेँ एखनधरि हस्ताक्षर तथा अनुमोदन नइँ कएने अछि ।

६७. आप्रवासी श्रमिकक केहन अधिकारकेँ सुनिश्चित कएने अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिकेँ अनुमोदन कएनिहार सभ देशकेँ आप्रवासी श्रमिककेँ राष्ट्रियताक आधारमे भेदभाव नइँ करबाक सुनिश्चित करऽ पडैत छै । ई महासन्धिक पक्षदेशकेँ आप्रवासी श्रमिक तथा हुनक परिवारक सदस्यकेँ सेहो आर्थिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराबऽ पडैत छै । तहिना, ई महासन्धि जातीय विभेद बिरुद्धक अधिकार, महिला अधिकार आ बालअधिकारक प्रश्नके सेहो विशेष ध्यान दऽ कऽ आप्रवासी श्रमिकक मानवअधिकारक संरक्षण करबाक दायित्व पक्ष देशकेँ सोपने अछि ।

६८. आप्रवासी श्रमिक तथा हुनकासभक परिवारक सदस्यकेँ केहन श्रम सम्बन्धी अधिकारक व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तरः अनिवार्य श्रम विरुद्ध संरक्षणक अधिकार, रोजगारी देनिहार देशक नागरिकजकाँ न्यूनतम रोजगारीक सहुलियत आ सुविधा प्राप्त करबाक अधिकार, तय समयसँ बेशी कएल काज, काजक समय, साप्ताहिक छुट्टी, तलबी बिदा, सुरक्षा, स्वास्थ्यक अधिकार आप्रवासी श्रमिक वा हुनक परिवारक सदस्यकेँ हएत । तहिना, आप्रवासी श्रमिक वा हुनक परिवारक सदस्यकेँ रोजगारी देनिहार देशक नागरिकजकाँ समानताक अधिकार आ समाजिक सुरक्षाक अधिकार हएत । मुदा, कठोर श्रमसहितक कारावासक सजाय भेटल अवस्थामे ओ अधिकार निलम्बित वा नियन्त्रित भऽ सकैया ।

६९. की आप्रवासी श्रमिककेँ ट्रेड युनियन आ सङ्घ सस्थामे आबद्ध हएबाक अधिकार अछि ?

उत्तर : ई महासन्धि आप्रवासी श्रमिककेँ ट्रेड युनियन आ सङ्घसंस्थामे आबद्ध हएबाक तथा एहिके बैसार आ क्रियाकलापमे सहभागी हएबाक अधिकार प्रदान कएने अछि । आप्रवासी श्रमिकसभकेँ रोजगारी देनिहार देशमे ट्रेड युनियन आ सङ्घ गठन करबाक स्वतन्त्रता सेहो ई महासन्धि प्रदान कएने अछि ।

७०.उत्पत्तिक देश, रोजगारीक आ रस्तामे परऽबला देश कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तर : ई महासन्धिअनुसार आप्रवासी श्रमिक जे देशक नागरिक अछि, ओ देश उत्पत्तिक देश होइत अछि । आप्रवासी श्रमिक कोनो पारिश्रमिक बास्ते काज कऽ रहल, काजमे खटाओल जायबला वा खटाओल गेल देश रोजगारीक होइत अछि । तहिना, उत्पत्तिक देशसँ रोजगारीक देशधरि आ रोजगारीक देशसँ उत्पत्ति वा बसोबासक देशधरि आबऽजायबला रस्तामे परऽबला देशकेँ रस्तामे परऽबला देश कहैत छइ ।

७१.आप्रवासी श्रमिक तथा हुनकर परिवारक सदस्यक अधिकारबास्ते केहन व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिमे आप्रवासी श्रमिक तथा हुनकासभक परिवारक सदस्यकेँ लेल विभिन्न अधिकार सुनिश्चित कएल गेल अछि । ओ अधिकार ईसभ अछि :

(क) कोनो देश छोडि सकबाक अधिकार,
(ख) उत्पत्तिक देशमे कोनो समयमे प्रवेश करबाक आ रहबाक अधिकार,
(ग) जीबाक अधिकार,
(घ) प्रताडना, पीडा, क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार विरुद्धक अधिकार,
(ङ) दासता विरुद्ध संरक्षणक अधिकार,
(च) विवेक आ धर्मक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार,
(छ) विचार आ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार,
(ज) सम्पत्तिक स्वामित्वसँ स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप विरुद्ध संरक्षणाक अधिकार,
(झ) स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिक सुरक्षासम्बन्धी अधिकार,
(ञ) कूटनीतिक संस्थासँ संरक्षण तथा सहयोगक याचना करबाक अधिकार,
(ट) कानुनक आगु समानताक अधिकार, आपतकालीन स्वास्थ्य सुविधाक अधिकार,
(ठ) उत्पत्तिक देशसँ सांस्कृतिक सम्बन्ध राखि सकबाक अधिकार,
(ड) निजी सम्पत्ति प्रयोगक अधिकार, सूचनाक अधिकार,
(ढ) सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणक अधिकार,
(ण) परिचय(पत्र आ यात्राक कागजपत्र (राहदानी, भिसा, श्रम अनुमति(पत्र करार आदि) रखबाक, प्राप्त करबाक आ सुरक्षित करबाक अधिकार ।

७२. आप्रवासी श्रमिकक बालबालिकाकेँ विषयमे एहि महासन्धिमे केहन अधिकारक व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तर : आप्रवासी श्रमिकक बच्चाक जन्मदर्ता, नागरिकताक अधिकार, आप्रवासी श्रमिकक बच्चाकेँ समानताक आधारमे शिक्षामे पहुँच जेहन अधिकारसभ ई महासन्धिमे अछि ।

७३. अभिलेखबद्ध श्रमिक आ अभिलेखबद्ध नईं भेल श्रमिक कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तरः रोजगारीक देशमे आ देशक कानुन अनुसार प्रवेश कएनिहार, रहनिहार आ काज करबाक अनुमतिप्राप्त आप्रवासी श्रमिककेँ अभिलेखबद्ध श्रमिक (Documented Worker) **कहैत छै। मुदा, रोजगारीक देशमे प्रवेश कएनिहार, रहनिहार आ काज करबाक अनुमति नईं प्राप्त कएनिहार आप्रवासी श्रमिककेँ अभिलेखबद्ध नईं भेल श्रमिक** (Undocumented Worker) **भनिन्छ।**

अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकार

७४. अपाङ्गता भेल व्यक्ति कहलासँ की बुझल जाइत अछि ?

उत्तरः ई महासन्धि अनुसार अपाङ्गता भेल व्यक्ति कहलासँ दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रिय सम्बन्धी कमजोरी तथा ताहिके विभिन्न अवरोधक कारणे समाजमे अन्य व्यक्ति बराबर समान आधारपूर्ण आ प्रभावकारी ढङ्गसँ सहभागी होब□लेल समस्यारहल व्यक्ति बुझल जाइत अछि ।

७५.अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कहलासँ की बुझल जाइत अछि ?

उत्तरः संयुक्त देशसङ्घक महासभासँ सन् २००६ मे पारित अपाङ्गता भेल व्यक्तिक मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धिकेँ 'अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६' कहैत अछि। एहि महासन्धिमे ५० टा धारा अछि। ई महासन्धि अपाङ्गता भेल व्यक्तिक मर्यादा, सम्मान, सहभागीता आ समावेशीकरण, समान अवसरक लेल मानवअधिकारक आधारभूत सिद्धान्तकेँ आत्मसात् करैत अपाङ्गता भेल व्यक्ति सेहो आनेजका सभतरहक मानवअधिकार समान रूपसँ उपयोग कऽ सकत से व्यवस्था कएने अछि। ई महासन्धिक एकटा स्वैच्छिक आलेख (optional protocol) सेहो अछि, जाहिमे १८ टा धारा अछि। नेपाल ई महासन्धि आ एकर स्वैच्छिक आलेखकेँ २००८ जनवरी ३ मे हस्ताक्षर कऽ २००९ डिसेम्बर २७ कऽ व्यवस्थापिका संसदसँ अनुमोदन कएने अछि ।

७६. अपाङ्गता भेल व्यक्तिकेँ केहन अधिकार सुनिश्चित करऽ पडैत छै ?

उत्तरः ई महासन्धिकेँ अनुमोदन केनिहार राज्यकेँ अपाङ्गता भेल व्यक्तिकेँ ई अधिकारसभ सुनिश्चित करऽ पडैत छै :

- स्तरयुक्त जीवन निर्वाह आ काज प्राप्तिक अधिकार,
- सम्पत्तिक अधिकार, रोजगारी वा स्वरोजगारीक अवसरमे प्रवर्द्धन,
- स्वास्थ्य आ शिक्षाक अधिकार (सांकेतिक भाषा आ ब्रेललिपिमे पढऽ पएबाक)
- अपन इच्छा अनुसार व्यावसायिक वा व्यवहारिक शिक्षा, अवसर आ छात्रवृत्ति,
- सार्वजनिक संरचना, सार्वजनिक यातायात आ स्थानमे पहुँचक अधिकार,
- उचित आ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आ वासस्थानक अधिकार,
- गरिबी निवारणक लघुवित्तीय योजना,
- राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमे सहभागिताक अधिकार,
- सूचना प्राप्तिक अधिकार आ गोपनीयताक अधिकार, गुणस्तरीय जीवनस्तर आ सामाजिक जीवनमे सहभागिताक अधिकार,
- सांस्कृतिक जीवन, मनोरञ्जन, विश्राम तथा खेलकुदमे सहभागिताक अधिकार ।

७७. अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकारकेँ संरक्षण करबालेल राज्यकेँ केहन जिम्मेवारी होइत अछि ?

उत्तरः राज्यकेँ अपाङ्गता भेल व्यक्तिकेँ बिनाभेदभाव सभ मानवअधिकार एवम् आधारभूत स्वतन्त्रताकेँ पूर्णरूपमे सुनिश्चित करबाक चाही । ई महासन्धिमे लिखल अधिकारक उपभोग करबालेल अपाङ्गता भेल व्यक्तिकेँ सक्षम बनएबालेल पक्षदेशसभकेँ एकटा मापदण्ड तयार करबाक चाही । तहिना, सम्बन्धित राज्यकेँ अपाङ्गता भेल व्यक्तिक अधिकारक सचेतना, सामर्थ्य आ योगदान अभिवृद्धि करबाक चाही । अपाङ्गतासँ सम्बन्धित पुरातनवादी धारणा एवम् पूर्वाग्रहकेँ निरुत्साहित करबालेल सम्बन्धित राज्यकेँ सचेतना अभिवृद्धिक लेल व्यापक स्तरमे अभियान सञ्चालन करबाक चाही ।

७८. राज्यक मुख्य प्राथमिकता की अछि ?

उत्तरः राज्यकेँ प्रभावकारी कानुन तथा नीति(नियम बनएबाक चाही । ओ कानुन तथा नीति(नियमकेँ सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करऽ लेल राज्यकेँ उपयुक्त संयन्त्र निर्माण करबाक चाही । तहिना, महासन्धि कार्यान्वयनक अवस्थाकेँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँ समयसमयमे अनुगमनक व्यवस्था करबाक चाही ।

बलपूर्वक बेपत्ता बनएबाक काज विरूद्धक अधिकार

७९. बेपत्ता भेल अवस्थाकेँ कोनाकऽ परिभाषित कएल गेल अछि ?

उत्तर : ई महासन्धिअनुसार बलपूर्वक बेपत्ता कहलासँ 'व्यक्तिकेँ कानुनक संरक्षणसँ बाहर आनिकऽ स्वतन्त्रताक हरणकऽ ओ तथ्यकेँ अस्वीकार करब वा बेपत्ता व्यक्तिक अवस्थाकेँ सूगहि हुनका विषयमे कोनो जानकारी नईं देबऽके हिसाबसँ राज्यक प्रतिनिधिसभ वा राज्यक अख्तियारी, समर्थन वा सम्मतिक सूग काज कएनिहार व्यक्ति वा समूहद्वारा पकडनाइ, कैद केनाइ, अपहरण वा स्वतन्त्रतासँ वञ्चित करबाक अन्य स्वरूपकेँ मानल जायत ।'

८०. बलपूर्वक बेपत्ता भेल व्यक्तिक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तरः विभिन्न देशक सरकारसँ व्यक्तिकेँ विभिन्न बहन्नामे बेपत्ता बनएबाक काजकेँ रोकबालेल संयुक्त राष्ट्र सङ्घक महासभासँ सन् २००६ डिसेम्बर २० मे पारित भेल सन्धिकेँ 'बलपूर्वक बेपत्ता भेल सभ व्यक्तिक संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि' कहैत छै । नेपाल ई सन्धिकेँ एखनधरि हस्ताक्षर तथा अनुमोदन नईं कएने अछि ।

८१. व्यक्तिकेँ बलपूर्वक बेपत्ता बनएबाक काजकेँ ई महासन्धि कोनाकऽ सम्बोधन कएने अछि ?

उत्तरः एहि महासन्धिक प्रावधानअनुसार ककरो बलपूर्वक बेपत्ताक भागिदार नईं बनाओल

जायत । युद्धक अवस्था वा त्रास, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा सार्वजनिक सङ्कट वा अन्य कोनो परिस्थितिमे बलपूर्वक बेपत्ता करबाक काजकेँ जायज नईं मानल जायत कहिकऽ ई महासन्धि स्पष्ट कएने अछि । सूगहि कोनो गैरसैनिक, सैनिक वा अन्य सार्वजनिक अधिकारीक आदेश वा निर्देशन मानलगेल कहिकऽ देलगेल स्पष्टोक्ति बलपूर्वक बेपत्ताक कसुरक औचित्य पुष्टि नईं हएत सेहो लिखल अछि ।

८२. बलपूर्वक बेपत्ता भेनिहार व्यक्तिक सम्बन्धमे राज्यकेँ केहन इलाजक व्यवस्था करबाक चाही ?

उत्तरः ई महासन्धि अनुसार, राज्यक अख्तियारी, समर्थन वा सम्मति प्राप्त नईं कएनिहार व्यक्ति वा व्यक्तिक समूहसँ कएलगेल बेपत्ता करबाक काजक अनुसन्धान करबालेल आ ताहिकेलेल जिम्मेवार रहल व्यक्तिके न्यायसमक्ष अनबालेल राज्यकेँ उपयुक्त उपाय अपनएबाक चाही । सूगहि, हरेक राज्यकेँ बलपूर्वक बेपत्ताकेँ अपन फौजदारी कानुनमे अपराध कायम करबालेल आवश्यक उपाय अपनएबाक बात सन्धिमे उल्लेख अछि । हरेक राज्यकेँ बलपूवर्क बेपत्ताक कसुरकेँ गम्भीरतापूर्वक आवश्यक सजायद्वारा दण्डनीय बनएबाक चाही ।

८३. बलपूर्वक बेपत्ता करबाक काजकेँ कोन तरहक अपराध कहल गेल अछि ? की एहन अपराधक हदम्याद होइत अछि ?

उत्तरः ई सन्धि व्यापक आ सुनियोजित रूपमे कएलगेल बलपूर्वक बेपत्ताक काजकेँ मानवता विरुद्धक अपराध मानैत अछि । एहिकेँ अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतक विधान (रोम विधान) १९९८ सेहो 'मानवता विरुद्धक अपराध' कहने अछि । फौजदारी कारबाहीक हदम्याद नईं होइत अछि मुदा ई कसुर अटूट रूपमे भऽ रहल बात पुष्टि होयबाक चाही ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन

८४. अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन कहलासँ विशेष कऽ युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षक समयमे लागु होबऽबला कानुनकेँ कहैत छै । ई अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षकेँ नियमित करबाक, युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षसँ उत्पन्न होबऽबला पीडा वा असरकेँ कम करबाक तथा प्रत्यक्ष रूपमे युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमे सहभागी नईं भेल आ कोनो कारणवश युद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्षमे भाग लेबालेल असक्षम व्यक्तिक सुरक्षा करबाक संगहि हुनका विरुद्धमे कोनो अमानवीय व्यवहार करबामे रोक लगओने अछि । एहिकेँ युद्धक कानुन वा सशस्त्र द्वन्द्वक कानुन सेहो कहल जाइत अछि । तहिना युरोपीय देश स्विट्जरल्यान्डक जेनेभा सहरमे पारित भेलाक कारणेँ एहि सन्धिसभकेँ जेनेभा महासन्धि सेहो कहल जाइत अछि । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनक प्रमुख स्रोत जेनेभा महासन्धिसभ आ ताहिके अतिरिक्त प्रलेखसभ अछि ।

८५. प्रमुख जेनेभा महासन्धि की-की अछि ?

उत्तरः प्रमुख जेनेभा महासन्धि ई अछि :

पहिल महासन्धि	:	युद्ध मैदानमे घायल, बिमार सैनिकके अवस्था सुधारसम्बन्धी,
दोसर महासन्धि	:	समुद्रमे घायल, बिमार आ सङ्कटग्रस्त जहाजक सशस्त्र सेनाक सदस्यक अवस्था सुधारसम्बन्धी,
तेसर महासन्धि	:	युद्धबन्दीसँ कएल जायबला व्यवहार सम्बन्धी
चारिम महासन्धि	:	युद्धक समयमे गैरसैनिक व्यक्तिक संरक्षणसम्बन्धी ।

८६. जेनेभा महासन्धि विषेश कऽ ककर सुरक्षामे ध्यान दैत अछि ?

उत्तरः जेनेभा महासन्धि युद्धसँ पीडित भेनिहारके सुरक्षाक प्रत्याभूति करैत अछि । जे खासकऽ सशस्त्र सङ्घर्षमे वा युद्धमे प्रत्यक्ष रूपमे भाग नईं लेनिहार व्यक्तिसभ, जेनाः

बिमार, घायल भऽकऽ लडबामे असक्षम योद्धा, कैदमे रहल, हतियार छोडि चुकल योद्धा आ आमनागरिकके सुरक्षामे ध्यान दैत अछि ।

८७. जेनेभा महासन्धिक महत्व की अछि ?

उत्तरः विशेष कऽ ई सन्धि युद्धक समयमे आकर्षित होइत अछि तँ विश्वमे युद्धसँ वा युद्धक कारणसँ बढैत जारहल मानवपीडा आ क्षतिकँ कम करबालेल, युद्धकँ नियमित आ व्यवस्थित करबालेल, गैर नागरिककँ संरक्षण करबालेल वा पीडा नईं होबऽ देबाकलेल अन्तर्राष्ट्रिय जेनेभा महासन्धिक महत्व अछि ।

८८. आन्तरिक सशस्त्र सङ्घर्षमे अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनक कुन(कुन दस्तावेज प्रमुख रूपमे लागु होइत अछि ?

उत्तरः आन्तरिक सशस्त्र सङ्घर्षमे जेनेभा महासन्धिक साझा धारा ३ आ जेनेभा महासन्धिक दोसर अतिरिक्त प्रलेख प्रमुख रूपमे लागु होइत अछि ।

८९. जेनेभा महासन्धिक धारा ३ कँ किया साझा धारा कहल गेल अछि ?

उत्तर : चारु जेनेभा महासन्धिक धारा ३ मे आन्तरिक द्वन्द्व वा सशस्त्र सङ्घर्षमे द्वन्द्वरत पक्षकँ पालना करबालेल न्युनतम मानवीय व्यवहार रहल एक्कहि तरहक कानुनी व्यवस्था उल्लेख कएल गेलाक कारणेँ जेनेभा महासन्धिक धारा ३ कँ 'साझा धारा' कहल गेल अछि ।

९०. जेनेभा महासन्धिक साझा धारा ३ अनुसार न्युनतम मानवीय व्यवहारमे केहन व्यवहार अबैत अछि ?

उत्तर : जेनेभा महासन्धिक साझा धारा ३ अनुसार युद्धरत पक्षकँ पालना कर□बला न्युनतम मानवीय व्यवहार एहि तरहेँ अछि :

१. सङ्घर्षमे सक्रिय रूपसँ सहभागी नईं भेनिहार, सशस्त्र सेनाक हतियार छोडनिहार व्यक्ति, घायल वा बिमार भऽ नजरबन्द अथवा अन्य कोनो कारणसँ लडाइसँ अलग भेल व्यक्तिकँ जाति, धर्म, विश्वास, लिङ्ग, जन्म, धन वा एहने आधारमे भेदभाव नईं कऽ केहनो परिस्थितिमे कएल जायबला मानवीय व्यवहार ।

२. बिमार आ घायल व्यक्तिक तथ्यांक सङ्कलन कऽ आवश्यक रेखदेख करबाक मानवीय व्यवहार ।

९१. जेनेभा महासन्धिक साझा धारा ३ अनुसार नईं कएल जायबला व्यवहार की–की अछि ?

उत्तर : सङ्घर्षमे सक्रिय रूपमे भाग नईं लेनिहार व्यक्ति, सशस्त्र सेनाक हतियार छोडि

चुकल व्यक्ति, घायल वा बिमार भऽ कऽ नजरबन्दमे वा आन कोनो कारणसँ लडाईसँ अलग भेल व्यक्तिक विरुद्धमे ई व्यवहार नईं करबाक चाही :

- हत्या, अंगभंग, पीडा,
- बन्धक बनएबाक,
- व्यक्तिगत मर्यादामे आघात पहुचएबाक, विशेष कऽ अपमानजनक आ नीचा देखएबाक व्यवहार,
- कानुन अनुसार स्थापना भेल अदालतक निर्णय बिना दण्ड सुनएबाक आ ताहिके कार्यान्वयन करबाक ।

९२. जेनेभा महासन्धिक पालना ककरा करऽ पडैत छैक ?

उत्तर : युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्षसभकेँ जेनेभा महासन्धिक पालना करऽ पडैत छैक ।

९३. जेनेभा महासन्धिक पालना नईं कएलापर केहन कारबाही भऽ सकैया ?

उत्तरः मानवीय कानुनक पालना नईं कएलापर युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धक अपराधक संगहि मानवक जीवन, स्वतत्रता आ मर्यादाक उल्लङ्घन कएल गेल मानल जाइत अछि आ एहन अपराध कएनिहार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमे कानुनी कारबाही भऽ सकैया ।

आदिवासी जनताक अधिकार

९४. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९ कहलासँ की बुझैत छी ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९ कहलासँ आदिवासीक विशिष्ट पहिचान, संस्कृति आ जीवन पद्धतिसहितके व्यापक अधिकार समेटल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बुझल जाइत अछि। ई महासन्धिमे भूमि, भूभाग आ स्रोत, आत्मनिर्णीत विकासक प्राथमिकताक अधिकारकेँ स्वःव्यवस्थापन आ सहव्यवस्थापनक रुपमे पहिचान करबाकसहितके प्रावधान समेटल अछि। महासन्धिकेँ अनुमोदन कएलाक बाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्बन्धित देशकेँ एहिकेँ प्रावधानसभकेँ राष्ट्रिय तहमे कार्यान्वयन करबाक कानुनी दायित्व होइत अछि।

९५. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९ कँ नेपाल कहिया अनुमोदन कएलक ?

उत्तरः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनक महासन्धि नं. १६९ कँ नेपाल २०६४ साल भादब २८ गते अनुमोदन कएने अछि।

९६. महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत राज्यक जिम्मेवारी की अछि ?

उत्तरः महासन्धि नं. १६९ अन्तर्गत आदिवासीसँ परामर्श कऽ हुनका सभकेँ प्रतिनिधित्व कराकऽ संयन्त्रसभ बनएबाक आ सञ्चालन करबाक, आदिवासीसँ परामर्श कऽ परामर्शक लेल उपयुक्त संयन्त्र आ प्रक्रियासभ स्थापित करबाक, देशकेँ आन समुदायसभसँ बराबरी हैसियतमे सब अधिकार पएबाक सुनिश्चितता, आदिवासीक सामाजिक, आर्थिक आ सांस्कृतिक अधिकार पूर्णरुपमे प्राप्त करबालेल प्रबर्द्धन करबाक, आदिवासी आ देशके अन्य समुदायबीच विद्यमान सामाजिक आर्थिक दूरी अन्त्य करबाक, आ आदिवासीक संस्थाकेँ प्रबर्द्धन आ सहयोग करब राज्यक मुख्य जिम्मेवारी अछि।

९७. आदिवासीक सहभागिता महासन्धि नं. १६९ मे केहन व्यवस्था कएल गेल अछि ?

उत्तरः महासन्धि नं. १६९ क धारा ६(१ (ख) अनुसार सरकार "सम्बन्धित समूहकेँ हुनकासभसँ सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमकेँ कार्यान्वयन लेल जिम्मेवार निर्वाचित संस्था तथा प्रशासनिक एवं अन्य अंगक निर्णय लेबाक सभतहमे स्वतन्त्रतापूर्वक आ कम्तीमे जनसंख्याक अन्य समूहे जका सहभागी होयबाक माध्यम निर्माण करबाक" व्यवस्था कएल गेल अछि।